

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 सितम्बर, 2002

(प्रथम बैठक)

खण्ड 2, अंक 2

अणिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2002

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
वाक आउट	(2)16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (सुनरारम्भ)	(2)16

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर अतारंकित प्र न एवं उत्तर	(2)18
अतारंकित प्र न एवं उत्तर	(2)25
विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापस लेने के लिए अनुरोध करना	(2)28
वाक आउट	(2)29
विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापस लेने के लिए अनुरोध करना (पुनराम्भ)	(2)29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	(2)31
सहकारी तथा निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों की अदायगी न करने संबंधी	(2)31
वक्तव्य—	(2)32
उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी कृि 1 मंत्री द्वारा	(2)32
विवेक उच्च विद्यालय, चंडीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत	(2)38
वक्तव्य—	

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ) कृषि मंत्रि द्वारा	(2)38
वाक आउट्स	(2)40
वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना	(2)41
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)41
वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)41
वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के अनुदानों और विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना।	(2)42

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार 3 सितम्बर 2002

(प्रथम बैठक)

हरियाणा विधान सभा की बैठक विधान सभा हाल विधान भवन सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रात 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष श्री सतबीर सिंह कादियान ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैमबर्ज अब प्र न होंगे। श्री नफे सिंह राठी जी, आप अपना प्र न पूछें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, प्र न काल भुरु करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने हमारे एक मैम्बर कसे बाहर भेज दिया है वह मैम्बर अपने प्र न पुछना चाहता हो तो आप उसको सदन में बुलाने का कश्ट करें।

श्री अध्यक्ष: उसको मैंने नहीं भेजा उसके कंडक्ट ने उसको बाहर भेजा है। यह मामला आप जीरो आवर में उठाना। अभी प्र न काल का समय है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (भाोर एवं व्यवधान) नफे सिंह राठी जी, आप अपा प्र न पूछें। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, हमने पदो कालिंग अटैं इन मो इन दी थीं, आप यह बताएं कि आपने वे मंजूर की हैं या नहीं ? (भाोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। भाोर एवं व्यवधान अभी क्वै चन आवर है। आप जीरो आवर में बात करना। (भाोर एवं व्यवधान)

Report of the Enquiry Commission

1139. Shri Nafe Singh Rathi : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that an Enquiry Commission was constituted to enquire into the incidents of police firing in Police Station, Bahadurgarh, district Jhajjar and in Pashupati Factoy, district Rewari; and

(b) if so, whether the report of the said Commission has been received by the Government togetherwith the action taken thereon?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

(क) हां, श्रीमान।

(ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(ख) राज्य सरकार को पुरुपति फ़ैक्टरी, धारूहेडा, तिला की दिनांक 30-6-2000 तथा पुलिस थाना भाहर, बहादुरगढ में पुलिस फायरिंग की घटना बारे जांच आसोग की रिपोर्ट दिनांक 11-12-99 को प्राप्त हो चुकी है। आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना सदन के पटल पर 5-9-2000 को, रख दी गई थीं।

जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हाने पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:-

बहादुरगढ जिला झज्जर के पुलिस थाना में फायरिंग बारे

1. पुलिस फायरिंग में मारे गए स्वर्गीय जयपाल की विधवा को एक लाख रूपसे वितीय सहायता के रूप में दिए गए और उपायुक्त झज्जर के कार्यालय में सेवादार के पद पर नौकरी भी दी जा चुकी है। श्री विव लाल निवासी जिला सीकर, राजस्थान, (र्मतक अ गोक कुमार का कानूनी उत्तराधिकारी) को एक लाख रुपए की वितीय सहायता भेजी गई है। श्री अ गोक कुमार की बहन को नौकरी उसके नाबालिग होने के कारण नहीं दी जा सकी।

2. श्री अनिल कुमार, पूर्व उ०पु०अ० बहादुरगढ के मामले में ठीक प्रकार से अनुसंधान की देख रेख न करने और लापरवाही के लिए नियम 8 अपल इंडिया सर्विस (डी० तथा ए०)

नियम 1969 के अन्तर्गत बड़ी सजर हेतु चार्ज गिट जारी की गई है। महानिरीक्षक पुलिस, गुडगाव मंडल को आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सम्बन्धित मामले में जांच ठीक प्रकार से अनुसंधान की देख रेख न करने और बेकसूर को झूठे मुकदमे के फसाने हेतु श्रीमती कला रामचन्द्रन, पूर्व सहपयक पुलिस अधीक्षक, बहादुरगञ्ज तथा श्री राज कुमार, पूर्व उप०पु० अधीक्षक बहादुरगञ्ज से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

3. उप० नि० सज्जन कुमार, पूर्वथाना प्रबन्धक, भाहर बहादुरगढ और स०उ०नि०सत नारायण, पुर्व जांच अधिकारी बहादुरगढ को एक बेकसूर आदमी को गिरफ्तार करने हेतु चार्ज गिट जारी की गई थी जो जांच पूरी होने पर उन दोनों की एक-एक सालाना वेतन वृद्धि पक्के तौर पर बन्द करने की सजा दी गई है। उ०नि० अ गोक कुमार,(अब निरीक्षक) पुर्व थाना प्रबन्धक बहादुरगञ्ज के विरुद्ध भी उक्त चार्ज हेतु विभागीय जांच आरम्भ की गई थी जो डिफेंस स्टेज पर लम्बित है।

4. उप०नि० रघबीर सिंह, पूर्व थाना प्रबन्धक भाहर बहादुरगञ्ज और चार सिपाहियों को फायरिंग के दिन लापरवाही के लिए एक नियमित विभागीय जपंच भुरु की गई थी लेकिन उनके वियद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सके और विभागीय जांच दाखिल कार्यालय कर दी गई है श्री सुख लाल,पूर्व उप०पु०अ० बहादुरगढ दिनांक 31-3-99 को सेवानिर्वत हो चुका है इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5. लडकियों को मारने के मामलों मके अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु 50,000/- रूपए दी गई ईनामकी राशि दिज्जी पुलिस से वापस ले ली गई है जो राज्य के सरकारी खाजाना में जमा हो चुकी है। इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस के कसूरवार कर्मचारियों के विरुद्ध विजिलेंस जांच भी भुरु करवाई गई है।

जिला रिवाड़ी धारूहेड़ा की प पुपति फ़ैक्टरी में फ़ायरिंग

1. पुलिस फ़ायरिंग में मारे गए चार लोगों में प्रत्येक को दो-दो लाख भपए दिए जा चुके हैं तथा 24 घायल आदमियों को 3,24,000/- बतौर हर्जाना दिया गया है। चार मारे गए लोगों में से तीन के परिवारों को प पुपति मिल धारूहेड़ा की तरफ से एक एक आदमी को नौकरी दी गई है।

2. श्री भाम लाल रेडियोग्राफर, जगदी लाल बहल, अधीक्षक जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, को बडी सजा हेतु नियम-7 हरियाणा सिविल सेवाएं (पी०एण्ड ए०)नियम 1987 के अन्तर्गत चार्ज गीट किया गया है। श्री भोर सिंह, लिपिक स्वास्थ्य विभाग को भी नियम-7 हरियाणा सिविल सेवाएं (पी०एण्ड ए०) नियम 1987 के अन्तर्गत चपर्ज गीट करने का निर्णय लिया है।

3. श्रम अपयुक्त हरियाणा ने अपने सभी उप श्रम अपयुक्त व श्रम एवं सुलह अधिकारियों को श्रम अ गान्ति के

मुछछों को सुझबूझ व भान्तिपूर्वक निपटाने हेतु हिदायतें जारी की गई है ।

4. श्री भप सिंह, एच०डी०एम० रिवाडी, श्री सोहन लाल, पूर्व पु०अ० रिवाडी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनु शासनिक कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

चौ०नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बेबी किलर कांड 20-9-1995

को भुरू हुए थे और उसमें 8 और 9 साल की एक दर्जन से ज्यादा बच्चियां मारी गयी थीं। कांग्रेस के राज में ये सारे घृणित कार्य हुए थे और 4-5 बच्चियां चौधरी बंसी लसल जी के राज मके मारी गई थी। केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ केवल एक इन्कीमेंट बन्द करने की सजा दी गई है। स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल मके लाई जाएगी या नहीं ?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह हादसा बेबी किलर कांड को लेकर हुआ था। अंत मके जब कोमल नाम की लडकी का अपहरण हो गया तब बहादुरगढ की जनता इस बात पर आक्रो ा जता रही थी और वहां पर फायरिंग हुई थी। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि उसकी जांच के लिए एक कौल

कमि न बिठाया गया था और उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कार्यवाही हुई थी जो दोषी अधिकारी थे, जिन्होंने बेबी किलर कांड पर पर्दा डालने के लिए 3 निर्दोशनोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको गिरफ्तार करने के बाद जो चौथी गिरफ्तारी हुई थी वह सही हुई थी। इस रिपोर्ट मके पुलिस की असफलता थी कि वे मामले की गहराई तक नहीं पहुंची और बेबी किलर कांड में जिन लोगों को चिन्हित किया गया और जिन्होंने गलत कार्यवाही की थी उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। अध्यक्ष महोदय, कौल कमि न की रिपोर्ट पर ही कार्यवाही की गई है। अध्यक्ष महोदय, उन्ही के अपदे 1 के अनुसार जयपाल रेड्डी की विधवा को उपायुक्त के ऑफिस में नौकरी दी गई थी और मुख्यमंत्री कोश से एक लाख रूपया दिया गया था। इसी प्रकार अनिल कुमार डी.एस.पी. को सर्विस रूल 8 के तहत चार्ज गिट किया गया। कला राम चन्द्रन तत्कालीन ए०एस०पी० बहादुरगढ और राम कुमार तत्कालीन डी०डस०पी० बहादुरगढ का स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनका स्पष्टीकरण आना बाकी है। सज्जन कुमार तत्कालीन एस०एच०ओ० बहादुरगढ तथा सत्यनारायण बहादुरगढ को गलत आदमी की गिरफ्तारी के कारण चार्ज गिट किया गया है। अ गोक कुमार तत्कालीन एस०एच०ओ० बहादुरगढ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। इसी पगकार माननीय साथी ने कहा है कि यह कार्यसवही थोड़ी है। स्पीकर सर, क्वासी ज्युडि ियल प्रक्रिया होती है जिसके बारे में सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। फिर भी हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री गोपीचन्द गहलोत): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प पुपति फैक्टरी के मामले का क्या हुआ। वहाँ पर भी पांच आदमियों को गोलियों से भूना गया था। इसके बारे में भी मन्त्री महोदय अपने मेन जवाब में बताना दें।(विधन)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, इसमें जो सप्लीमेंट्री किया गया है वह बहादुरगढ़ के मामले को ही लेकर किया गया है।

श्री रामबीर सिंह: स्पीकर सर, प पुपति फैक्ट्री धारूहेडा में जो चार मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए थे उसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन बंसीलाल जी की सरकार की भाव के ऊपर जो फैक्ट्री के मालिक को, प्रबन्धक थे उन्होंने अपनी मर्जी की यूनियन को फैक्ट्री में बिठाने की कोशिश की थी इसलिए यह विवाद पैदा हुआ। जब भ्रान्तिप्रिय मजदूर वहाँ पर धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन पर गोलीबारी की। स्पीकर सर, कौल कमीशन की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस की जो गोलीबारी थी या जो बल प्रयोग था वह जरूरी नहीं था। मैं आपके माध्यम से माननीय सी पी एस महोदय से जालला चाहूंगा कि जब कौल कमीशन की रिपोर्ट यह कह रही थी कि बल प्रयोग जरूरी नहीं था और इस बल प्रयोग में तत्कालीन प्रशासन की और पुलिस की अपराधिकता की बू आती है तो अब कौल

कमी न की इस रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यसवही करने जा रही है ?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, यह सही है कि जो कौल कमी न की रिपोर्ट आयी उसमें यह बात उजागर की गयी है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्यसवही की थी, यह गलत थी। इस पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको दो-दो लाख रूपया दिया गया तथा चार मारे गए लोगों में से तीन के वारिसों को नौकरी भी दी गयी है। इसी प्रकार से जो इस फायरिंग में फट्टुड हुए थे उनको बतौर हर्जाना 3,27,000/-रूपये भी दिये गये है। स्पीकर सर, जिन अधिकारियों ने मेडीकल रिपोर्ट में फेरबदल करने की कोशिश की है उनकी भी पहचान कर ली गयी है। श्री भाम लाल, रेडियोग्राफर एवं श्री जगदीश लाल बहल, अधीक्षक जोकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है को बड़ी सजा देने के नियम सात के अन्तर्गत चार्ज शिट करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से श्री रूप सिंह तत्कालीन एस०डी०एम०रिवाडी एवं श्री सोहन लाल, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रिवाडी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है। इसी तरह से श्रम आयुक्त हरियाणा ने अपने सभी उप श्रम आयुक्त एवं श्रम और सुलह अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की है कि वे इस प्रकार के मामलों को भ्रान्तिपूर्वक तरीके से निपटाने का प्रयास करें।

चौ० नफे सिंह राठी: स्पीकर सर, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बेबी किलर कांड 20-2-1995 को भुरु हुए थे और उस समय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। स्पीकर सर, उस समय नाजाया तरीके से आदमियों को जेलों में डाल दिया जाता था। इस बेबी किलर कांड के मामले में भी दो लडके नाजायज तरीके से पुलिस ने जेल में बंद कर दिए थे। अनमें से एक की तो बाद में जेल में हत्या हो गयी थी और दूसरे को कई साल बाद निर्दोश करार दिया गया था जब असली मुलजिम पकड़ा गया था। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से रिक्वैस्ट है कि इसमें जो भी पुलिस अधिकारी भागिल है,जिनके बारे में कहा गया है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पीकर सर, इतना लम्बा अर्सा होने के बावजूद अभी तक उस स्पष्टीकरण का जवाब नही आया है। जिन पुलिस अधिकारियों को अभी तक सजा दी गयी है वह केवल वेतन वृद्धि रोकने की ही दी गई है। स्पीकर सर, यह सजा नाकाफी है। मेरा आपके माध्यम से प्र न है कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी या नही?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, यह ठीक है कि इस रिपोर्ट में भी और जांच के बाद भी असली अपराधी सती । पुत्र बृजलाल ही था। परन्तु तीन अन्य व्यक्ति रामबाबू पुत्र रामलखन,राजकुमार पुत्र चन्दा सिंह और भांकर पुत्र मोहन चौधरी को झूठा फसाया गया था क्योकि ये बेबी किलर नही थे। स्पीकर सर, इवन दिल्ली पुलिस को पचास हजार का जो अवार्ड दिया गया

था हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक वह पचास हजार रुपये भी वापस ले लिए गए और इनके खिलाफ जो भी कार्यवाही बनती होगी वह हम करेंगे। यह ठीक है कि नफे सिंह राठी जी वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को फसाया गया था, उसकी जेल में हत्या कर दी गई थी। जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो रिक्मंडे इन कौल कमी इन की है उसके मुताबिक ही कार्यवाही करेंगे।

श्री रामबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा सी०पी०एस० साहब ने बताया कि धारूहेडा में प ुपति मिल में जिन अधिकारियों की कोताही की वजह से गोली कांड हुआ और चार मजदूर मरे उनके खिलाफ अनु ासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग या जो दुसरे लोग थे उनके खिलाफ कब तक ठोस कारवाई की जाएगी ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा नि ि चत करेंगे ? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से आ वासन है कि यह मामला विचाराधीन है जबकि यह इतना गंभीर मामला है कि इसमें चार मजदूर मरे हैं। जिन्होंने फायरिंग की है उन अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी, यह बताने की कृपा करें।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, यह ठीक है कि कार्यवाही ऐकौरडिंग टू रूलज़ बनती है और हम कार्यवाही कर भी रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि जो कौल

कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें इन्वॉल्वड कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं उनके बारे में कार्यवाही न करने की बात है लेकिन जैसे भाम लाल रेडियोग्राफर, जगदीश लाल बहल, अधीक्षक और भोर सिंह लिपिक हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। माननीय साथी ने जो प्रश्न पूछे हैं कि सख्त कार्यवाही की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि जरूर सख्त से सख्त कार्यवाही जल्दी की जाएगी।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे से लगते क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। आज जो गुड़गांव तरक्की कर रहा है उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। यह कमीशन तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री के कहने पर बना था। इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप चौधरी बंसी लाल जी यदि यहां होते तो उनको भी हम इस बारे में कहते। चौधरी बंसी लाल जी कि गोलियों की भाशा में बात करते थे इस कांड में भी उन्होंने गोलियों से बात की जिससे तीन दर्जन के करीब मजदूर घायल हुए थे। सारे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलियां पुरुपति फैक्ट्री के अंदर से चली थीं। इस बारे में जो रिप्लाइ दिया गया है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उस मिलका जो जी०एम० होता था जिस पर पहले भी किमिनल केसिज चल रहे थे, उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस इन्क्वायरी के आदे 1 करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल को कहा था। तब जाकर कौल कमी 1 न बनाया गया था और इसमें पंजाब एचं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति श्री कौल को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है पहले श्री वहां इस प्रकार की बहुत सी कार्रवाई होती रहीं और यह भी सही है कि प्रबंधकों ने यूनियन में आपले फेवर का आदमी बैठाने का प्रयास था। कई प्रकार के कर्मचारी थे उनको सहूलियतें देने पर आनाकानी हो रही थी। वहां पर अपने फेवर का आदमी बैठाने के प्रयास में कर्मचारियों में इस मामले को लेकर आक्रो 1 बढा जिसकी वजह से यह फायरिंग हुई जिसमें चार मजदूर मारे गए। यह झीक है कि उसमें दर्जनों घायल हुए। जांच की रिपोर्ट कहती है कि एस०डी०एम० ने बिन जाने बिन देखे इस प्रकार के आदे 1 दिये। इस बात को कौल साहब ने भी अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट में माना है और कहा है कि अगर कौके पर जाकर के सही तरीके से कार्यवाही का अवलोकन किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। उपरध्यक्ष महोदय की बात सही है लेकिन एक कमी 1 न की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही काम किया जाना है।

Construction of a Bridge

1150. Shri Uday Bhan: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under

consideration of the Government to construct a bridge on the railway line on Palwal-Aligarh road in Palwal city; if so, the time by which the above said bridge is likely to be constructed ?

मुचय संसदीय सचिव (श्री रामपरल माजरा): नहीं, श्रीमान् जी। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय को बताना चाहता हूँ कि पलवन-अलीगढ़ रोड और पलवन-बुलन्द शहर रोड ये दो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है। मेरे क्षेत्र का अधिकतर भाग भी इस रोड से प्रभावित रहता है। चौधरी बंसीलाल जी की तत्कालीन सरकार के समय भी यह प्रस्ताव आया था और इस रोड को बी०ओ०टी० के तहत बनाने के लिए टैण्डर भी हो चुके थे और इस बारे में सर्वे भी हो चुका था और रेलवे विभाग से इस बारे में परमिशन भी मिल चुकी थी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन क्यों नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने किसी राजनीति कारण से उस प्रस्ताव को उस समय ड्राप कर दिया था माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब यमुना एक्सप्रेस प्लान के ट्रीटमेंट प्लान का इलाज करने गये थे उस समय हमने यह मांग उनके सामने रखी थी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरे माननीय साथी श्री भगवान सहाय रावत जी और श्री राजेन्द्र सिंह बिसला भी उस समय वहाँ मौजूद थे तब माननीय

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह फलाई ओवर बहुत आव यक है और इस बारे में आसपास के गांवों से एक प्रस्ताव भिजवाया जाये और इस बारे में माननीय रेल मंत्री श्री नीति । कुमार जी से बात करेंगे कि इस फलाई ओवर को बी०ओ०टी० के तहत बनवाये । यह आ वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था । अब मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आ वासन को मध्यनजर रखते हुये और चौधरी बंसीलाल जी के समय में जो अप्रुवल दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुये इस फलाई ओवर को बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामपरल माजरा: स्पीकर सर, यह ठीक है कि इस फलाई ओवर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी थी और उसके बाद टैण्डर काल किये गये थे । स्परकर सर, उसके बाद जब इस पुल को बी०ओ०टी० के तहत बनाने के लिए टैण्डर दिया उसने इस पुल को बनाने के लिए 15 साल की समयावधि की मांग की थी लंकिन इतनी समयावधि दिया जाना उस समय ठीक नहीं था । इस बपत को लेकर उस रोड का सर्वे हुआ था । यह ठीक है कि वह सर्वे 1999 में 28-5-99 और 30-5-1999 को किया गया था और उन्ही की एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी थी कि इस रोड पर कार, जीप और लाईट व्हीकल्ज सिर्फ 976 चलते है और बसें केवल 148 चलती है और ट्रक 641 चलते है । इसी बात को लेकर सरकार ले माना कि बी०ओ०टी० के तहत यह पुल बनाना संभव

नहीं था। ऐसे पुल बनाने में नोर्मली 7-8 वर्ष तो लग जाते हैं लेकिन 15साल का समय देना संभव नहीं था इसलिए इस मामले को रोक दिया गया था।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माजरा साहब से जानना चाहता हूँ कि अगर विभाग पहले वाले सर्वे से सहमत नहीं है तो वह सरकारी तौर पर सर्वे करा ले क्योंकि इस रोड पर कभी-कभी तो इतना हैवी ट्रैफिक होता है कि रेलवे लाईन से लेकर नै नल हाई-वे तक जाम लग जाना है और आने वाले समय में नै नल हपई-वे इस रोड के प्रभाव से जाम हो जायेगा। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। और वह चाहे बी०ओ०टी० से बनवाया जाये या रेलवे से। इस पुल को बनाने के लिए पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले बताया इस पुल को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल दी गई थी और इसके बारे में हम अब रेलवे विभाग से टाई अप कर रहे हैं अगर उनकी तरफसे यस हो जाती है तो इस फलाई ओवर को बनाने के लिए हरियाणा सरकार की वरीयता सूची में तो इसका नाम है। इसलिए मैं मानीय साथी को आ वासन देना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में रेलवे विभाग से टाई अप कर रही है क्योंकि इस फलाई ओवर को बनाने के लिए हरियाणा सरकार और रेलवे विभाग का 50-50 प्रति ात का भोयर होगा। इसलिए इसे बनाने के लिए सरकार पहले से ही विचार कर रही है।

श्री भगवान सहवय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस पुल को बनाने के लिए माननीय साथ ने प्र न उठाया है कि पलवल से अलावल, पलवल से अलीपुर और पलवल से रसूलपुर रोड पर जो जाम लगा रहता है। वह कहीं जरूरत से ज्यादा जाम होता है, इतना ज्यादा जाम प्रवे ा के किसी रोड पर नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वहीं भारी ट्रैफिक है, और उदय भान जी ने भी कहा है कि इसका दोबारा सर्वे कराया जाए। जब ओम प्रका ा चौटाला की सरकार जहीं पत्थर रख गए थे, उन अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करवा रहीं है ा वहीं मुझे वि वास है कि सरकार इस पर भी गौर करेगी और जनहित को ध्यान में रखकर इस पुल के निर्माण के बारे में सोचेगी। इसके इलावा मैं माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अपने स्तर पर इस पुल को बनवाने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: बिसला जी, आप भी अपनी सप्लीमेंटरी पुछ लें, मंत्री जी इकट्ठा जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, भाई उदय भान जी ने जो प्र न किया है वह एक अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी पलवल में आधार ि ाला रखने के लिए गए थे, वहीं हम सभी ने उनसे निवेदन किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कनवींस भी थे और आ वासन भी दिया था कि वे पुल को बनवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वास्तव मे हम जो पुल की मांग

कर रहे है, वह पुल रहीमनुर में यमुना का जो पुल है उसको जोड़ता है। सदन को जानकारी है कि जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार इस रोड़ पर 170 बसें हर रोज चलती है। हम मानकर चलते हैकि कई बार सर्वे जो होता है वह तथ्यों से अलग हटकर जानकारी देता है। हम मानकर चलते हैं कि कई बपर सर्वे जो होता है वह तथ्यों से अलग हटकर जानकारी देता है। माजरा जी से हम निवेदन करते हैं कि बिना अपनी आइडेंटिफिके इन डिसक्लोज किए उस पुल के पास बैठ जाएं तब इनको पता चलेगा कि वहां कैसे 3-3 किलोमीटर तक का लम्बा जाम लग जाता है। आम आदमी की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आ वासन देगी कि उस पुल को अति भीघ्र बनवाया जाएगा। वास्तव में उस रोड़ पर 500 बसें चलती हैं और वहीं 4 स्टेट्टस का ट्रैफिक है इसलिए माजरा जी हमें अप वासन देंगे कि वे खुद वहां जाकर इस रोड़ को देखेंगे जिससे हमारी तसल्ली हो जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, चौणरी उदय ने जो अलीगढ पलवल रोड़ पर रेलवे पुल बनाने का प्र न उठाया है, उसका भगवान सहाय रावत और बिसला जी ने भी समर्थन किया है। यह वास्तव में जनहित का मुद्दा है। मंत्री जी ने जबाव में कहा कि रेलवे अथोरिटी से वे बात करेंगे कि वे इस पुल को बनाने के लिए तैयार हों इसलिए मेरा मंत्री जी से प्र न भी है और सुझाव भी है कि रेलवे अथोरिटी पुरे तोर पर पुल नहीं बनाया करती

बल्कि रेलवे अथोरिटी पचास परसेंट का हिसा देने के लिए तैयार होती है। जैसे उदय भान जी ने कहा कि क्या मंत्री जी दोबारा से इसका सर्वे करवाकर बी०ओ०टी० लैवल पर इस पुल को बनवाने का प्रयास करेंगे। और अगर बी०ओ०टी० का कोई ठेकेदार इसका टैन्डर नहीं देता तो जनहित को देखते हुए क्या हरियाणा सरकार अपनी तरफ से इस पुल को बनवाने का प्रयास करेंगी ? (भाोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह मायना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा सवाल इससे हटकर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी बाहर है जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां पुल बनवाने की कोई व्यवस्था की गई है जैसे पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, जयपुर रोड़ है, वह नै नल हाई-वे रोड़ है। इस पर भारी ट्रैफिक रहता है इसलिए एक तो रेवाड़ी रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मायना जी, यह रेवाड़ी का सवाल नहीं है, यह पलवल का सवाल है।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा प्र न इस सवाल से हट कर है। मेरा दूसरा प्र न है कि रोहतक में झज्जर रोड़ है, उस पर भी पुल बनना चाहिए क्योंकि वहां भी ट्रैफिक ज्यादा रहता है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर अनेक सप्लीमेंटरीज पूछी गई है। कर्ण सिंह दलाल ने इस बारे में तो पहले भी 25-7-2000 को प्र न दिया था और इनके पास रिप्लाइं गया होगा। ये खुद उससे पहले वजीर रहें है और सारी बातें इनके वक्त में हुई है। जहां तक मेरे माननीय साथी भगवान सहाय रावत और राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने सवाल पूछा है कि क्या इस पुल का दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा, इस बारे में बताना चाहूंगा कि दोबारा से सर्वे करवा लेंगे और इस पुल को बी०ओ०टी० लैवल पर भी बनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि बी.ओ.टी. इस पुल को बनाने के लिए 12 साल या 15 साल का समय लेंगे तो उनसे यह पुरल बनवाना फीजीबल नहीं है क्योंकि हम इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल का समय दे सकते हैं। स्पीकर सर, जहां तक मेरे साथी कर्ण सिंह दलाल ने कहा है कि रेलवे वाले इस पुल को बनाने के लिए तैयार है वे गलत कह गए, रेलवे वाले इस पुल को बनाने के लिए तैयार नहीं है बल्कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनसे यह पुल बनवाने के लिए प्रयास कर रहें है और यदि रेलवे वाले बनवायेंगे तो पचास प्रति ात भोयर रेलवे वाले देंगे और पचास प्रति ात भोयर स्टेट गवर्नमेंट देंगी।

श्री उपाध्यक्ष: माजरा साहब, वहां पर वाकई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्र न भगवान सहाय रावत।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय इस पुल के बारे में मेने भी सप्लीमेंटरी पुछनी है ।

श्री अध्यक्ष: आपको पहले सप्लीमेंटरी पूछनी चाहिए थी । अब अगला प्र न भुरू हो रहा है आप उस पर सप्लीमेंटरी पूछ लेना ।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर सर, आप न तो जीरो आवर में बोलने देते है और न ही सप्लीमेंटरी पूछने देते है ।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्द्रजीत जी, आप अगले प्र न पर सप्लीमेंटरी पूछ लेना ।

Patronage Rebate Amount

1100. Shri Bhagwan Sahai Rawat: Will the Minister for Cooperation be pleased to State-

(a) whether the HAFED has paid any amount to the Cooperative Marketing Societies as patronage rebate during the year 2000-2001 till date; and

(b) whether the HAFED has given rebate on the DAP bags during the year 2000-2001 till date; if so, the detail therof?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) हां, श्रीमान जी। हैफेड ने 1-4-2000 से आज तक सहकारी विपणन समितियों को 97.42 लाख रुपए की राशि संरक्षण छूट के रूप में दी है।

(ख) हां, श्रीमान जी। हैफेड ने डी०ए०पी० बैगों पर किसानों को 1-4-2000 से 31-7-2002 तक 925.38 लाख रुपए की छूट दी।

श्री भगवान सहाय रावत : स्पीकर सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि हैफेड ने 1-4-2000 से अब तक सहकारी विपणन समितियों को 97.42 लाख रुपए की राशि संरक्षण छूट के रूप में दी है। और दूसरा यह बताया कि डी०ए०पी० बैगों पर किसानों को 1-4-2000 से 31-7-2002 तक 925.38 लाख रुपए की छूट दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या डी०ए०पी० के अतिरिक्त भी दूसरे उर्वकों पर भी छूट दी गई है ?

श्री करतार सिंह भडाना: स्पीकर सर, दूसरे उर्वकों पर छूट नहीं दी गई।

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर सर, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के लिए डी०ए०पी० और दूसरे सुपरफास्फेटिक तथा रासायनिक उर्वक बहुत ही अहमियत रखते हैं। स्पीकर सर, इस साल पहले ही किसान सुखे की मार झेल रहे हैं इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी डी०ए०पी० के

अलावा दूसरे उर्वकों पर भी किसानों को छूट देने बारे विचार करेंगे।

श्री करतार सिंह भडाना: स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस पर विचार कर लिया जाएगा और सम्भव होगा तो छूट भी दी जाएगी।

Drought in the State

1142@Shri Karan Singh Dalal, Shri Jagjit Singh, Shri Ramesh Kumar Khatak, Shri Ranbir Singh, Smt. Anita Yadav: Will the Minister Revenue be pleased to

(a) Whether the State of Haryana has been declared drought affected; and

(b) If so, the details of the relief provided or to be provided to the affected farmers?

राजस्व मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) :

(क) जी, हां

(ख) प्रभावित किसानों को दी जा रही राहत या दी जाने वाली राहत का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. फसल खरीफ-2000 का आबियाना माफ किया है।
2. सभी अल्पावधि सहकारी ऋणों को मध्यावधि सहकारी ऋणों में परिवर्तित किया गया है।

3. जहा खराबा पचास प्रति गत या इससे अधिक हुआ है उस क्षेत्र के कृषि नलकूपों के बिल 6 मास के लिए स्थगित किए जाएंगे।

4. दिनांक 5.8.02 से 20.8.02 तक वि. शेष गिरदावरी हो चुकी है। वि. शेष गिरदावरी के परिणाम प्राप्त होने उपरांत प्रभावित किसानों को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्मज अनुसार राहत प्रदान की जाएंगी।

5. सिंचाई विभाग द्वारा नहरी पानी पर आधारित जल-आपूर्ति तथा पंपिंग के लिए तलाबों को नहरी पानी से भरने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। सुखे के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से समस्त राज्य में फसलों को पानी सुनिश्चित करने के लिए भाखड़ा से अधिक पानी लिया गया है।

6. सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में वि. शेष पंपिंग स्वास्थ्य देखभाल कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।

7. राज्य में सूखा के कारण बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटीज को तेज किया गया है। पावर यूटिलिटीज ने कृषि क्षेत्र में नियमित बिजली सप्लाई कायम रखी है। वर्ष 1998-99 की तुलना में इस वर्ष सुखा-ग्रस्त महीनों में औसतन बिजली सप्लाई 50 प्रति गत अधिक रही है।

8. किसानों को ट्यूबवैल चलाने के लिए 7 घण्टे प्रतिदिन बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके

लिए अतिरिक्त रोजगार के लिए बिजली प्रतिदिन 10-11 घण्टे दी जा रही है।

9. जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है।

10. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु स्वास्थ्य कैम्पस आयोजित किए जाएंगे, विशेष कर दूर-दराज के क्षेत्रों में।

11. काम के बदले अनाज प्रोग्राम के तहत स्वराज ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. विभिन्न विभागों को तत्काल राहत से लिए 16.00 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं०	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि
1.	कृषि विभाग	वैकल्पिक फसलों के बीजों तथा जिप्सम के लिए	3.00
2.	जन-स्वास्थ्य विभाग	ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में पानी की	8.00

		व्यवस्था करने के बारे	
3.	पुपालन विभाग	पुओं की दवाइयां खरीदने के लिए	3.00
4.	स्वास्थ्य विभाग	दवाइयां खरीदने के लिए	2.00
		योग	16.00

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सूखे के बारे में जवाब दिया है 10:00 बजे— इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो जवाब इन्होंने दिया है उसमें इनके अपने जवाब में ही मतभेद है। मैंने सवाल के 'क' भाग में पूछा था कि क्या हरियाणा राज्य को सुखा प्रभावित घोषित किया गया है तो इन्होंने इसका जवाब हां में दिया है। दूसरी तरफ मंत्री जी ने कहा कि केवल 5.8.2002 से 20.8.2002 तक की अवधि की गिरदावरी करवाई जाएगी। स्पीकर साहब, इनके जवाब को देखते हुए मेरा इनसे सवाल है कि कल सूखे से संबंधित विषय पर इन्होंने अपने जवाब में माना है कि सूखे की वजह से किसान फसल नहीं बो सके। जब ये इस बात को जानते हैं कि सूखे की मार किसानों पर पड़ी हुई है और वे अपनी फसल बो नहीं सकते तो फिर ये विशेष गिरदावरी क्यों करवाने पर तुले हुए हैं? क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सूखे की स्थिति में बिना किसी विशेष गिरदावरी किए तमाम हरियाणा प्रदेश के किसानों

को राहत देंगे ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि सूखे के कारण लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 16 करोड़ रूपए की राशि कृषि विभाग, जन-स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी की है। मब ये एक तरफ मान रहे हैं कि सूखा पूरे हरियाणा में पड़ा है तो फिर ये विशेष गिरदावरी किस राजनीतिक आधार पर और गलत तरीके से करवा रहे हैं ? मेरा इस संबंध में मंत्री जी से निवेदन है कि क्या विधान सभा के सभी दलों के सदस्यों की कमेटी बनाई जाएंगी ताकि जो राहत हरियाणा के किसानों को दी जानी है वह इस विधान सभा के सदस्यों की कमेटी के माध्यम से दी जा सके ? क्या ऐसी कोई समिति गठित करके यह सारा काम उनकी देखरेख में कराने पर ये विचार करेंगे ?

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, कल भी ये एक बात कह कर चले गए। सुनने की इनकी आदत नहीं। कल हाउस में सूखे के उपर चर्चा हो रही थी और एसैम्बली के बाहर प्रदेश में भगवान बारिश कर रहा था। इन्होंने कल भी हमारी बात ध्यान से नहीं सुना।(विधन)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठिये। जिनका पहले सवाल है उनको मौका देंगे।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे से निवेदन करता हूँ कि जो विरोधी पक्ष के विधायक साथी बैठे हैं उनके भी

कवै चन है और उन्होने भी अपने सवाल पुछने है। मेरा आपसे बड़े अदब के साथ अनुरोध है कि आप सभी को बोलने का पूरा मोका दें। मैं सभी साथियों की इस संबंध में तसल्ली कर के इनको भेजूंगा। अभी श्री कर्ण सिंह दलाल यह कह रहे थे कि मेरे रिप्लार्ड में मतभेद है। हमारे रिप्लार्ड में कोई मतभेद नहीं है। हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को सूखे से प्रभावित राज्य घोशित किया और श्री कर्ण सिंह दलाल आज तो पलवल में रह रहे हैं। कभी किसान के घर में जन्म भी लिया, खेत में भी गये और आज विधायक हैं, इसलिए इनको पता है कि जब तक गिरदावरी नहीं होती तब तक हकीकत सामने नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, एक किसान के पास तो ट्यूबवैल है दूसरे किसान के पास ट्यूबवैल नहीं है। जिस किसान के पास ट्यूबवैल है उसने कोर्णा की और ट्यूबवैल पर उसको अधिक बिजली मिली, उससे फसल पैदा की, नहर में पानी ज्यादा उपलब्ध हुआ और फसल पैदा की। मैं आपसे गुजारि कराना चाहता था कि कॉलिंग अटेंशन मोड के द्वारा भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई। कितना पानी हमें भाखड़ा से मिला, कितना पानी हमें ताजेवाला हैड से मिला, किन-किन तारीखों में कितना-कितना पानी दिया यह सब मैंने बताया था। लेकिन वे फिर वे यह कह कर चले गये कि पलवल के आबियाना को माफ नहीं किया। दलाल साहब, आपके जाने के बाद मैंने बताया था कि आप के पलवल का इलाका भी उसमें है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस इलाके के भी साथी हैं सबको उसमें शामिल किया गया है।

रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, झज्जर के उतर के इलाके में कुछ इलाके ऐसे है जहां किसान सरसों की खेती के लिए साढ़ी रखता है, बगैर साढ़ी के उस पर सरसो की बिजाई नही होती, उसको आप क्या मान कर चलेंगे। हम कबूल करके चल रहे हैं है कि इन महीनो में बारि । नही हुई। कुदरत मेरे हाथ में नही है, कुदरत में बहुत ताकत है। मानसून की बारि । नहीं हुई लेकिन प्रि-मानसून में पूरे प्रदे । में बरसात हुई थी जिसकी वजह से बिजाई भी हुई और बाद में बारि । न होने की वजह से फसलो का नुकसान भी हुआ। जैसे बाजरा है, ग्वार है, ज्वार है, तिल है, दालें है और गन्ना भी उसमे आता है, यह कुछ ऐसा इलाका है जहां कहने को पानी मीठा है लेकिन उस मीठे पानी की तसीर में भी थोड़ा सा तीखापन है। झज्जर, रिवाड़ी, गुड़गाव और दूसरे इलाकों की यमुनानगर के इलाके से पानी की तुलना करे तो काफी अन्तर है। वहां पर भी मीठा पानी कहां जाता हैं। हमारी सरकार के बारे में इन्होने एक बात कहीं और मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं इस बात को क्लियर करूं। अध्यक्ष महोदय, द किदीर्घा में लोग बैठे हुए है और पत्रकार दीर्घा में भी पत्रकार साथी बैठे हुए है कोई एक ऐसी कमेटी बना ले, अगर वह कमेटी यह साबित कर दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मैने हर जगह जा कर कहां कि यह राजनितिक आपदा नहीं है यह आपदा प्रमात्मा की दी हुई है इसलिए किसी किसान के साथ राजनैतिक आधार पर कोई गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। जो इसका हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। (विधन) अम्बाला और यमुनानगर में

तो कल तक बाढ़ आ रही थी। (विधन) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि गिरदावरी की जरूरत क्यों हुई। जब तक एक्चुअल हालात सामने नहीं आते कि कितनी बिजाई हुई और कितनी फसल नहीं हुई तब तक मुआवजा कैसे तय होगा ? दलाल साहब कल आप एक बात कह कर चले गए कि लोगो ने पहले ही फसल जोत दी।(विधन) इन्होंने कहा कि फसले गिरदावरी से पहले जोत दी गई थी। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि 13-14 तारिक से पहले बारि 1 हुई ही नहीं थी। बारि 1 न हो तो उस जमीन पर हल तो छोड़ो ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। जो किसान है, वे इस बात को अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि जमीन इतनी सूख गई थी कि उस पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता था। बारि 1 13-14 तारीख को हुई और गिरदावरी काम 5 तारीख को शुरू हुआ और 20 तारीख तक चलता रहा। हम आपकी तरह नकली गिरदावरी नहीं करवाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब बारि 1 ही नहीं हुई तो पहले फसल कैसे जोत दी गई। इसके इलावा जो फसले सूखे में दूरी है उनकी 100 प्रति अंत गिरदावरी तहसीलदार करेंगे, 25 प्रति अंत गिरदावरी एस०डी०एम० जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र है, करेंगे, इसके इलावा जो फसले सूखे में दूरी गई है, उनकी 10 प्रति अंत गिरदावरी डी०सी० मोक्रे पर जा कर चैक करेगा और 2 प्रति अंत जांच कमिशनर करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री कर्ण सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें समय लगता है और इसको चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि हमारी में 11 कोई खोट नहीं है

श्री अध्यक्ष: जगजीत सिंह जी कुछ और पुछना चाहते है तो पूछलें।(तोर एंव व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका कोई प्र न नही है,आपका कोई सुझाव नही चाहिए। आप बैठिए।(तोर एंव व्यवधान)

चौधरी भजन लाल :***** |

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी जो कुछ भी बोल रहे है, वह रिकार्ड नही किया जाए। (तोर एंव व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी विपक्ष के साथियो से अनुरोध है और यह अनुरोध मैंने पहले भी किया था कि जो भी सदस्य जो-जो सवाल पूछना चाहे, पूछे, मैं उसका जवाब देता रहूंगा।(तोर एंव व्यवधान) यह कोई डिस्कान का मोका नही है आप सवाल पूछे।

श्री जगजीत सिंह सागवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने गिरदावरी 5 तारीख को भुरू की और यह लगभग एक हफते में की गई थी। सारे प्रदेश की जमीन की गिरदावरी एक हफते में हो गई। लेकिन अचानक एक हफते के बाद सरकार की तरफ से आदेश आए कि यह गिरदावरी गलत हो गई है दोबारा से गिरदावरी की जाए।

ऐसा क्या अंदेश है कि सब जगहों पर 50 प्रतिशत गिरदावरी गलत हो गई और दोबारा से गिरदावरी की जाए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर डी०सी०,एस०डी०एम० और तहसील दार जांच करके आए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में खास कर के भिवानी जिले में तो सब जगहों पर गलत गिरदावरी हो गई थी। आप इस बारे में सदन में ऐसी क्या गलत गिरदावरी हो गई थी जो दोबारा से जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा आपने कहा है कि इसकी रिपोर्ट आएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गिरदावरी किए हुए 15 दिन हो गए हैं। अब तो रिपोर्ट आ गई होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार और भारत सरकार के गिरदावरी के बारे में क्या-क्या नॉर्मज है, उनके बारे में सदन में क्लियर करें ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विधान सभा के मैम्बर्ज की एक कमेटी बनाई जाए और डिस्ट्रिक्ट वाईज सदन में सारे आंकड़े बताएं। (गौर एवं व्यवधान) वह कमेटी यह देखेगी कि कहीं सरकार ने जोराहत देने की कोशिश की है उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की पांच-पांच पेजों की रिपोर्ट को मिला कर दस पेजों की

रिपोर्ट है। अगर आप कहे तो मैं इसको सदन में पढ़ कर सुना देता हूँ। (गोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, कल ये सदस्य सूखे पर कालिंग अटैं इन मो इन देकर चले गए थे। जब उस बारे में सदन में चर्चा में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं हुई तो हाउस छोड़कर भाग गए थे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान: मेने कोई कालिंग अटैं इन मो इन नहीं दिया था।

श्री धीरपाल सिंह: अब आप क्या कहते है कि मैं इस दस पेज की रिपोर्ट को पढ़कर सुना दूँ या सदन के पटल पर रख दूँ।(गोर एवं व्यवधान)

स्पीकर सर, या तो सांगवान साहब कहे कि मेरी तसल्ली हो या फिर यह दस पेज का जवाब सुनने के लिए तैयार रहें।(विधन) पांच पेज तो भारत सरकार के ही है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: नहीं—नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। (विधन)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, सांगवान साहब ने एक बात और भिवानी जिले के बारे में कही। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने चाहे वह भिवानी हो, सरसा हो, महेन्द्रगढ़ हो, रिवाड़ी हो, फतहेबाद हो या पार्ट ऑफ जीन्द हो, इनको बाकी प्रदेशों से सूखा प्रभावित माना गया है। इन्होंने जहाँ पचास परसेंट गिरदावरी की बात कही लेकिन मैं इनको बता दूँ कि जब

गिरदावरी भुरु हुई तो कुछ लोगो ने उसको राजनीतिक रंग देना भुरु कर दिया। स्पीकर सर, चाहे किसी भी पार्टी का राज हो लेकिन कर्मचारी तो कर्मचारी ही है। पटवारी को लेकर भी राजनीतिक बातें हुई। स्पीकर सर, जब कुछ लोगो द्वारा इस तरह से गिरदावरी को लेकर राजनीतिक रंग देना भुरु कर दिया गया तो सरकार ने तुरन्त इस बात को महसूस किया और वरिष्ठ अधिकारियो को अलग-अलग साइड पर यह देखने के लिए कहां कि जो यह कुछ लोगो द्वारा गिरदावरी को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसमे कितनी सच्चाई है। स्पीकर सर, इसमे कोई सच्चाई नहीं पाई गई। (विधन) जिसका जितना हक बनता है उसको उतना दिया जाएगा। चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार हो, चाहे झज्जर हो या चाहे कोई दूसरा इलाका हो उसको उसका हक मिलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। जिनके ओरिजनल क्वै चन्ज है मैं पहले एक-एक सप्लीमैट्री पूछने दे रहा हूं। (गोर एवं व्यवधान) फोजी साहब, सवाल उन्ही का है। आप पढ़कर तो देखिए। (गोर एवं व्यवधान) क्वै चन्ज उन्ही का है आप पढ़कर देखे। फोजी साहब अब आप बैठ जाए।

श्री रामकिान फोजी : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। (गोर एवं व्यवधान) *****

श्री अध्यक्ष : फाजी साहब की बात रिकार्ड न की जाए।
(गोर एवं व्यवधान) जिनका क्वै चन है पहले उनको सवाल पूछने का मोका दिया जा रहा है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब आप बैठिए (गोर एवं व्यवधान) सांगवान साहब, जो आप पूछना चाहते हैं वह खटक साहब पूछ लेंगे या फिर आप लिख कर भेज दें। अब आप बैठ जाए। (गोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो०सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, इस तरह से तो हाउस का टाईम वैस्ट हो रहा है जबकि क्वै चन ऑवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले लिस्टेड लोगो को सवाल पूछने दें और उसके बाद अनलिस्टेड लोगो का नाम ले लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। क्वै चन ऑवर में सिर्फ दस मिनट बाकी है इसलिए आप सभी यह टाईम वेस्ट ना करे।

प्रो०सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो आदमी मेहनत करते हैं जो आदमी अपने सवाल देते पहले उनको सवाल पूछने का मोका मिलना चाहिए। ये अपने सवाल तो देते नहीं हैं और यहा पर बीच में बोलते रहते हैं टोकते रहते हैं। पहले लिस्टेड लोग पूछें

और लिस्टेड लोगो के बाद अगर आप प्रंमि ान देते है तो दूसरे लोग भी अपना सवाल पूछ सकते है। ये क्वै चन तों देते नही है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक नही आया है।

श्री अध्यक्ष : आ बैठ जाए। आप खटक जी को भी कुछ पूछने दें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुने।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठ जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास इन सब के जवाब है। धर्मबीर जी भी ऐसे बोलते रहते है। धर्मबीर के गांव में या उनके आसपास के गांव में चारे की कमी से या पानी की कमी से कोई जानवर मरा हो तो बताए।(गोर एवं व्यवधान)

केवल अखबार में छपवाने से बात नही बनत। हमने रात को डी०सी० को भेजा था कि पहले धर्मबीर के गांव में और उसके आसपास के गांव में जा कर देख के आओ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

वाक आउट

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का मंत्री जी द्वारा पूरा जवाब नहीं दिया गया ऐज-ए-प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर सिंह बैगेर प्रमि न के बोल रहे है इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (गोर एंव व्यवधान)

तारांकित प्र न एंवम् उतर (पुनरारम्भ)

श्री रमे ा कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सूखे से जहां किसान पर प्रभाव पड़ा है वहीं व्यापारी, आम आदमी और मजदूर पर भी प्रभाव पड़ा है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जहां किसानों को सरकार द्वारा राहत दी जाएगी वहीं मजदूरों को भी कोई सुविधा देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? दूसरा मेरा प्र न यह है कि जैसा कि द ार्या गया है सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में वि ोश प ँ देखभल कैम्प आयोजित किए गए हैं जो प ँ स्वास्थ्य कैम्प लगाए गए हैं उसमें कितने प ँ सूखे से प्रभावित हुए हैं और अधिकारियों ने कितने आंकड़े द ाकर सरकार के पास भेजे हैं, यह जानना चाहता हूँ ?

श्री धीर पाल सिंह : खटक साहब का पहला प्र न है कि गांव में किसान के अलावा समाज के और लोग भी रहते है

सूखे का प्रभाव उन पर भी पड़ा है तो उनकी रोजी रोटी के लिए प्रदे । सरकार ने कुछ किया है तो मैं बताना चाहता हूं जी हां काम के बदले अनाज के तहत कार्य भुरू हुए और गांव-गांव में इस ढग से तालाबों की खुदाई की बात थी, रास्ते में मिट्टी डालने की बात थी, पाले बनाने की बात थी और स्कूल के आंगन में मिट्टी भरने की बात थी। जो ीी काम के बदले अनाज के द्वारा मजदूरों के हाथों से संभव था उस पर सरकार ने ध्यान केन्द्रित किया है। स्पीकर सर, अप्रैल माह से लेकर जुलाई माह तक 27 करोड़ 38 लसख रुपये की राशि । सरकार ने काम बदले अनाज पर खर्च की इसके अलावा 21199 मीट्रिक टन गेहूं जिन्होंने हाथ से काम किया उनमें बांटा है उससे काफी लोगो को वि ोशकर श्रूमिहीन लोगों को राहत मिली और ज्यादा दिन काम करने का उनको मौका मिला। तीन करोड़ रुपये की राशि । हमने दवाईयों के लिए रखी थी उसके लिए कैम्प लगाए। कैम्पों में आए जानवरों को दवाइयां वितरित की गई। एक-एक जानवर के बारे में मोहम्मद इलियास जी ही विस्तार से बता सकेंगे। (तोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा: मंत्री जी, यह बताएं कि वूखे समय कितने गांवों में वे गए हैं ?

श्री धीरपाल सिंह: मैं बता रहा था कि प ुपरलन विभाग के लिए हमने दवाइयों के लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए और मैंने उसकी इंक्वायरी भी करा ली है। कल इनके डाक्टर

साहब को बुलाया गया था। तीन करोड़ रूपये की दवाइया सेंटर ने उपलब्ध कराइंग हैं इसलिए किसी पंजु को पीने के पानी के अभाव में, चारे के अभाव में और दवाइयके अभाव में मरने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: रामबीर सिंह जी बोलेंगे।

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिसे।

श्री अध्यक्ष: आप रामबीर सिंह जी के बाद बोलें। अब बाप बानी सीट पर बैठिये।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, रामबीर जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। आप उनको तो जबरदस्ती उठा रहे हैं और अनिता जी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं आप उनको पास ऑन कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्वै चन लिस्ट में गलती से रणबीर सिंह की जगह रामबीर सिंह का नाम टाईप हो गया है इसलिए मैं रामबीर सिंह का नाम बोल रहा था अब रणबीर सिंह बोलेंगे।

श्री रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद हरियाणा सरकार ने अपने सीमित साधनों से किस प्रकार किसानों को राहत प्रदान की है उसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से रैवेन्यू मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने इस आपदा के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है या नहीं क्योंकि हमारे कृषि मंत्री महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजीत हसंह से मिले थे और उनसे 615 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की थी क्या केन्द्र की तरफ से कोई आवासन दिया गया कि कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी या नहीं ? इसके साथ ही साथ मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि जो किसान सूखे की वजह से कोई फसल नहीं बो पाये क्या उनको मुछ राहत यर मुआवजर देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ? (विधन)

डा० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस मिस्टेक है क्योंकि हिन्दी वर्सन में रामबीर सिंह दिया और इंगलि में रणबीर सिंह दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। क्वै चन लिस्ट में गलती से रणबीर सिंह की जगह रामबीर सिंह का नाम टाईप हो गया है इसलिए मैं रामबीर सिंह का नाम बोल रहा था। (विधन)

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो राहत प्रदान करने जा रहे हैं उसके इलावा गिरदावरी करवाई है उसमे जो क्षेत्र आयेंगे उनको भी राहत दी जायेगी। केन्दग सरकार से जो आर्थिक सहायता मिलेंगी उसके अलावा राज्य सरकार के आपदा राहत कोश से राहत प्रदान की जायेगी। इसके इलावा राज्य

सरकार के अपने खर्चों में कटौती करके किसानों को उनका हक दिया जायेगा। ऐसा मैं सदन को आश्वासन देता हूँ।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूखे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या सरकार जो गिरदावरी कर रही है उसके बाद डौमैस्टिक बिजली के बिल की रिकवरी पोस्टपोन करेगी ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा सूखे परहो रही हो और ये घर के बिजली के बिलों की चर्चा करते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्र नकाल समाप्त होता ठे

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्र नों के
लिखित उत्तर

Modernization of Bus Fleet

1128. Shru Nafe Singh jundla: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government for the modernization and expansion of Bus fleet of Haryana Roadways, if so, the details thereof togetherwith the number of new gusesto be purchased during the year2002 ?

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार अरोड़ा): श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान क्रम तः 489 व

705 आधुनिक डिजाईन की बसें पुरानी बसों के बदले जोड़ी गई है।

वर्तमान् वर्ष के दौरान 289 बसें पुरानी बसों के स्थान पर जोड़ी जा रहीं है। इसके अतिरिक्त पुरानी बसों के स्थान पर 355 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है।

हरियाणा राज्य परीवहन के बस बेड़े में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Decreasing the loss of State Transport

1126, Shri Balbir Singh: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the State Transport is suffering a loss due to the excessive increase in the expenses of Haryana State Transport; if so, the steps beings taken to overcome the loss of State Transport; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the vus fare due to the hikein the prices of diesel ?

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार) :

(क) हरियाणा राज्य परिवहन (1) डीजल की कीमतों में वृद्धि (2) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स लागू करने तथा (3) बीमा

कम्पनियों द्वारा बीमा प्रीमियम की दरों में वृद्धि करने के कारण खर्चों में भारी बढ़ौतरी का बोझ उठा रही है।

फिर भी खर्चों में हुई बढ़ौतरी पर काबू पाने तथा हानि को कम करने के लिये हरियाणा राज्य परिवहन के संचालन को निम्नलिखित उपायों से और अधिक मुक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. कर्मचारियों को अच्छी प्रकार से प्रेरित काके तथा उनके अक्षते प्रयासों से बसों में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ौतरी लाई गयी है।

2. टायर-ट्यूब व कल पुर्जा के वयय को घटाया गया है।

3. कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद अच्छी कार्यकुशलता प्राप्त की जा रही है।

4. जनता की सुकवधा बढाने तथा मार्गों की उत्पादकता को बढाने के लिये मार्गों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

5. बस बेडरूढे का और अधिक नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

6. सड़क सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जा रहा है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Guidlines for New water/Electricity connections

1136, Shri Anil Vij : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state-

(a) whether any new guidelines have been issued by the Urban Development Department for issuing of N.O.C. for new water and electricity connections; and

(b) if so, the details thereof ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल) :

(क) हां, श्रीमान जी, नगर विकास विभाग ने दिनांक 7-6-2002 को नगरपरलिकाओं की सीमाओं के अन्दर पानी, सीवरेज तथा बिजली के नये कनेक्ट इन स्वीकृत/रिलीज करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दि 11 निर्देश जारी किये हैं।

(ख) दि 11 निर्देश 1 अनुबन्ध 'क' पर रखे हैं।

अनुबन्ध 'क'

बिजली, पानी व सीवरेज के कनेक्ट इन स्वीकृत/रिलीज किये जाने के लिए अनापति प्रमाण पत्र के मामलों के निर्णय लिये जाने हेतु दि 11-निर्देश 1।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 में धारा 203 (एच) जोड़ी गई,जिसमें नगरपालिका से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन के स्वीकृत रिलीज करने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान है। अब नगरपालिका सीमा में स्थित प्रत्येक भू-भवन स्वामी के लिये बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन स्वीकृत/रिलीज कराने के लिये आवेदन करने से पूर्व संबंधित नगरपालिका से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। पालिकाओं के पास बिजली, होंगें। इन आवेदन पत्रों पर नगरपरिषद/पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा स्पीकिंग आर्डर पास करके निर्णय लिया जाना होगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर निर्णय हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, कन्ट्रोलड ऐरिया एक्ट, 1963 तथा अर्बन ऐरिया एक्ट, 1975 के प्रावधानों अनुसार हो तथा अनाधिकृत कालानियों के विकास पर प्रभावी रोक लगे, के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित दिशा निर्देश घोषित किये हैं। जिसके आधार पर ऐसे अनापति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हैं अथवा अस्वीकार किये जाने हैं।

(क) जब मक प्रार्थी द्वारा पालिकाओं से भवन प्लान की स्वीकृतिप्रति एपलब्ध नहीं करवाई जाती तब मक बिजली, पानी के कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति नहीं दी जायंगी। इसी प्रकार जब मक पालिका द्वारा स्वीकृत प्लान अनुसार भवन की कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं किये जाते तब तक सीवरेज

कनैव इन नहीं किये जायें। भवन की कम्पली इन सर्टीफिकेट उपरोक्त उद्देश्य के लिए अनापति प्रमाण पत्र समझे जायेंगे।

(ख) कार्यकारी अधिकारी/सचिव अपने-2 क्षेत्र में अनुमोदित कालोनियों या स्कीमों/सैक्टरों की सूची संशोधित नगरपालिका अधिनियम की प्रति सहित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम तथा लोक निर्माण विभाग(जन-स्वास्थ्य) के स्थानीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेजेंगे कि इन अनुमोदित कालोनियों और सैक्टरों से बाहरस्थित भूमि और भवनों के लिए बिजली, पानी व सीवरेज के कनैव इन तब तक स्वीकृत न किये जायें जब तक वह पालिका से जारी करने के लिये सक्षम हैं जिसमें यह भी अनुरोध किया जायेगा कि जो भवन/भूमि स्वीकृत कालोनी/सैक्टर के बाहर स्थित हैं, के लिये बिजली, पानी व सीवरेज कनैव इन सब तक जारी न किये जायें जब तक नगरपरिशद/पालिका से प्राप्त अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते। तथापि ऐसी अनुमोदित कालोनियों के प्लॉटोंके लिए स्वीकृत भवन प्लान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कम्पली इन सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने पर पालिका द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु अनापति प्रमाण-पत्र दिया समझा जाये।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान अनाधिकृत कालोनी का भाग नहीं हैं परन्तु कनैव इन हेतु आवेदित भूमि/मकान का खेय विक्रय अर्बन ऐरियाज एक्ट, 1975की धारा 7(1) की उल्लंघना करता हो, तब तक कनैव इन स्वीकृत/रिलीज नहीं किया जाये

जब तक आवेदक कालोनी विकसित करने का लाईसेंस निदेशक, नगरविकास हरियाणा से अनुमोदित ले-आउट प्लान या पालिका द्वारा स्वीकृत भवन, प्लान तथा कम्पली इन सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं करता। यह अस्तावेज इन कालोनियों में अनापति प्रमाण-पत्र दिये समझे जायेंगे।

(घ) जहाँ भूमि/भवन जिसके लिये कनैक्शन आवेदित किया गया है, किसी अनाधिकृत कालोनी का भाग न हो तथा प्लान स्वीकृत किया गया हो तथा रिहसय की प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो, ऐसी भूमि/भवन के लिए कनैक्शन स्वीकृत कर दिये जायें।

(ङ.) कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा जहाँ पूर्व में जारी किये गये दिशानिर्देशों अनुसार भवन प्लान स्वीकृत नहीं किया गया है वहीं बिजली, पानी के कनैक्शन के लिए अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाना है। इसी प्रकार स्वीकृत प्लान अनुसार निर्मित भवन के लिए जहाँ रिहाय की प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया वहाँ भी अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेंगा।

(च) प्रत्येक प्रतिवेदन का स्वतरु स्पष्ट आदेशों द्वारा प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर-2 निपटान कर दिया जाना चाहिए।

(छ) प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, उनके प्राप्ति की तिथि, उनके निपटान की तिथि व अनापति

प्रमाण-पत्र जारी किये गये आदे गों की रिपोर्ट निदेशालय में भेजी जायेगी, जिससे उनकी जांच हो सके।

(ज) संबंधित कार्यकारी अधिकारी/सचिव, कार्यकारी अभियंता लांक-निर्माण विभाग, जन-स्वास्थ्य और हरियाणा विद्युत वितरण निगम इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अनपालना के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ऐसा न किये जाने की सूरत में इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही ही जायेगी।

(झ) कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों के आर्डरज से पीड़ित आवेदक अपना प्रतिवंदन निदेशालक, नगर विकास को दे सकते हैं, जो केस का परीक्षण करके कार्यकारी अधिकारी/सचिव या प्रार्थी को उचित निर्देश देंगे।

Reducing the rate of Interest

1104. Sh. Sher Singh: Will the Minister for Town&Country Planning be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Haryana Urban Development Authority(Huda) to reduce the interest on the payment of the instalments of the plots as well as on late payment thereof; and

(b) if so, the details thereof.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्र न नहीं उठता।

Allotment of Plots in Grain Markets

1159. Shri Moola Ram : Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any policy of the Government to allot the plots of shops on concessional rates to the old Commission Agents in newly developed or developing Grain Markets in the State; and

(b) if so, the year-wise details of the plots allotted during the period from 1996 to date under said policy ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धी) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) वर्ष

Construction of Chara Mndi at Bhiwani

1124. Shri Shashi Parmar: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is proposal under consideration of the Government to construct Chara Mndi at Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the above said Mandi is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी, भिवानी में चारा मण्डी का निर्माण भुरु हो चुका है।

(ख) निर्माण कार्य सितम्बर, 2003 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

Construction of Grain Market at Uklana.

1106. Shri Jarnail Singh : Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct New Grain Market at uklana; and

(b) if so, the time by which the above said Market is likely to be constricted ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी, उकनाना में नई अनाज मण्डी का निर्माण चरणबद्ध तरीकेसे भुरु किया जा चुका है।

(ख) प्रथम चरण के विकास कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

Edible Oils

1083. Shri Ram Bhagat : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Government to launch refined Oils of Sunflower, Corn and Groundnut etc; if so, the details thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना): हां, श्रीमान जी, सर्वप्रथम हैफेड द्वारा चावल की भूसी के रिफाइन्ड खाद्य तेल का भुभारम्भ करने का प्रस्ताव है। बाजार का रूढान दखने के पचात् दूसरे खाद्य तेल जैसे कि रिफाइन्ड सूरजमुख का तेल, रिफाइन्ड मकई का तेल और रिफाइन्ड मूंगफली के तेल को भी विभिन्न वर्णों में बाजार में उतारा जाएगा।

Setting up of Kachchi Ghani Oil Mills?Rice Mills

1082. Shri Balwant Singh Sadhaura: Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Muatard Oil (Kachchi Ghani) and Rice Mills during the current Financial year in the State; if so, the details thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हां, श्रीमान जी, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हैफेड द्वारा नारनौल में एक आधुनिक कच्ची घानी सरसो तेल मिल और रानियां (सिरसा) में चावल मिल स्थापित की जा रही है।

ओंढां में एक कच्ची घानी तेल मिल और फतेहाबादउ में एक चावल मिल स्थापित करने का भीह प्रस्ताव है। इन दोनो

संयत्रो को स्थापित करने के लिए भूमि खरीदी / अधिग्रहण की जा ही है ।

Construction of Cemented Roads in Dabwli

1109. Dr. Sita Ram: Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct cemented roads in Dabwali City; if so, the amount sanctioned for the purpose ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाश गोयल): हां, श्रीमान् जी। राज्य सरकार ने डबवाली भाहर में सीमेंट की सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2002-2003के दौरान 19.53 लाख रूपये की राशि पहली ही रिलीज की है।

Strength of Students in Classes

1162 Sh. Ramesh Kumar Khatak : Will the Minister of state for Education be pleased to state whether the minimum or maximum strength of students for sitting in the 10th and 10+2 classes in the school has been prescribed; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री० बहादुर सिंह): जबकि नियमों में विशेष रूप से कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, एजूकेटन कोड में यह व्यवस्था है कि एक कक्षा कक्ष में उपलब्ध स्थान के लिए छात्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और न ही साधारणतः

मिडल/हाई/सीहनयर सैकण्डरी कक्षाओंमें 50 से अधिक छात्र संख्या होगी।

Redemarcation of Boundaries

1160. Shri Jagjit Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the State Government has constituted any Committee for the redemarcation of the boundaries of Villages, Blocks and Districts; if so, the action taken by the said Committee for the purpose

नगर एवं ग्रामत आयोजनर मंत्री(श्री धीरपरल सिंह) :
जीं, हां।

राजसव मंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है। हाल ही में इस कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें मध्यस्थ आयुक्तों के माध्यम से प्राप्त ग्राम पंचायतों की मांगों पर विचार किया गया है। जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

Providing of Red Light

1191. Smt. Veena Chhibbar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Red Light at the crossing of Model Town in Ambala City ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नहीं, श्रीमान्
जीं।

Repair of Roads

1182. Smt. Anita yadav : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to repair the damaged roads from Kosli to Jhajjar and village Mundpura to Akheri in Sub-division Kosli; and

(b) if so, the time by which the roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मुंदपुरा से अखंडी तक सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा एक महीने में पूरा करदिसा जायेगा। कोसलर से झज्जर तक सड़क की मरम्मत का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि वांछित धन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

Police Housing Corporation

1122. sh. Nishan Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any separate Corporation for providing housing facility to Police Personnel in the State; and

(b) if so, the total number of houses constructed by the said Corporation during the last ten years togetherwith the amount spent thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी, हां,

(ख) निगम द्वारा पिछले 10वर्षों (1992-93 से 2001-2002 तक) में 2260 आवास बनाए गये जिस पर मुल खर्चा 4266.75 लाख रुपये आया।

Setting up of 33 k v Power Sub-Station

1099. Smt. Vidya Beniwal: Will the chief Minister be pleased to state whether is any proposal under consideration of the Government to set up Power Sub-Station of 33K V and above in district Sirsa; if so, details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान्, जिला सिरसा में प्रसार एवे उप प्रसार प्रणाली को मजबूत करने के लिए 11 उपकेन्द्र 49.57 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित करने नियोजित हैं। एक 220 के०वी० उपकेन्द्र रानियां, पांच 132 के०वी० उपकेन्द्र माधो सिंघाना, ऐलनाबाद, ओढान, आसा खेंडा और सिकन्दरपुर और पांच 33 के०वी० उपकेन्द्र रसूलपुर थेरी, मेला ग्राऊन्ड सिरसा, खाड़िया, बड़ा गुड्डा तथा भाहीदांवाली है। ये सभी कार्य आगामी वित्त वर्ष तक पूर्ण होने सम्भावित हैं।

इसके अतिरिक्त दो 33 के०वी० उपकेन्द्र भाहूर वेगू एवे नाथूसरी की चालू कवत वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि करना नियोजित है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Purchase of Substandard Material

117. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for cooperation be pleased to state whether any complaint has been received by the Government in regard to purchase of substandard material in the Cooperative Sugar Mill, Palwal during the year 2000 and 2001; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : जी नहीं, श्रीमान् ।

Licence for Ration Depot

118. Shri Karan Singh Dalal : Will the chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of licences for Ration Depots have been given in district Faridabad during the year 2000 and 2001; and

(b) the number of licences, if any, cancelled in district Faridabad, during the period referred to in part 'a' above together with the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्या 2000 के दौरान 138 लाईसैंस तथा वर्या 2001 के दौरान 61 लाईसैंस जिला फरीदाबाद में राशन डिपूओं के लिए दिए गए:

(ख) वर्ष 2000 के दौरान 71 लाईसैंस था वर्ष 2001 में 54 लाईसैंस रा न डिपूओं के फरीदाबाद जिले में रा न की वस्तुओं के विनरण में ही गई विभिन्न अनिमियततरबों के कारण रद्द किए गए।

Numver of proclaimed offenders.

119. Shri Kara Singh Dalal : Will the chief Minister be pleased to state whether any criminal has been declared proclaimed offernder in the State during the year 200 and 2001; if so, the district-wise number and names therof?

Interim Reply

“ओम प्रका ा चौटाला

मुख्य मंत्री, हरियाणा

चण्डीगढ़

2-9-2002

अतारंकित प्र न सं० 119 माननीय वदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पुछा गया है। इस प्र न के उत्तर के लिए विभिन्न अदालतों तथा पुलिस थानों के रिकार्ड से सूचना ली जाती हैए जो एक लम्बी प्रकिया ळ।

अतःआपसे अनुरोध हैकि इस प्र न का उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए।

आपका,
ओम प्रकाश चौटाला
श्री सतबीर सिंह कादियान,
अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़।”

Cases of Rape/Murder etc. Registered in Faridabad

125. Shri Karan Singh Dalal: Will the chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of cases of dacoity, theft, murder, rape and hurt registered in district Faridabad during the years 2000 and 2001; and

(b) the number of cases out of those referred to in part 'a' above in which accused have not been apprehended/arrested?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) फरीदाबाद जिला में वर्ष 2000 और 2001 में दर्ज मुकदमों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:—

Shortage of Drinking Water

127. Shri Jagjit Singh: Will the chief minister be pleased to state-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that there is acute shortage of drinking water in the colonies such as Ward no. 1 Ravidas Mohalla, Balmiki Basti, Dhanak Basti, Gamri, Dauanand Vihar, Gandhi Nagar, Sainipura, Ramdas Nagar, Kath Mandi, Anaj Mandi, hira xhowk, Subhash chowk, chhoti Bajari etc. of Municipal Committee Charkhi Dadri District Bhiwani; and

(b) if, so, the steps being taken by the Government to solve the problem of the drinking water of the aforesaid colonies ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) इन कालोनियों में परने के पानी की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Providing of Sewerage

128. Shri Jgjit Singh Sangwan: Will the chief minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that there is no sewerage facility in the colonies such as Ward No.1 Balmiki Basti, Ravidas Basti, Dhanak Basti, Sainipura, Gandhi Nagar, Vivek Nagar, Fountain Chowk of the Municipal committee, Dadri; and

(b) if so, the time by which the facility of sewerage system is likely to be provided to the aforesaid colonies ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) वार्ड संख्या 1, बाल्मीकि बस्ती, रविदास बस्ती, धानक बस्ती, सैनीपुरा, गांधी नगर व फव्वारा चा।क कालोनियों में सीवरेज वुविधा उपलब्ध है। विवेक नगर एक अस्वीकृत कालोनी है। सरकार की नरति के अनुसार स्वीकृत कालोनियों में ही सीवरेज प्रणाली बिछाई जाती है।

विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापिस लेने के लिए अनुरोध करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Bhupinder Singh Hooda and five other M.L.As regarding non-payment of sugarcane to the farmers by the Co-operative and private Sugar Mills. I admit it. Now, Shri Bhupinder SinghHoods, may read his notice.(Noise and interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी कालिंग अटैंशन एडमिट की। इन दोनो करलिंग अटैंशन में हमारा जो साथी है कैप्टन अजय सिंह यादव, उसका नाम भी अंकित है। उसको आपने सस्पेंड कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, एस वाई एल का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और एस वाई एल हमारे हरियाणा की जीवन रेखा है, उसमें उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, 4 बार वे इस सदन के सदस्य रहे हैं, उनको सदन में आने की इजाजत दी जाए। उनकी सस्वेंशन खत्म करके उनको यहां बुलाएं क्योंकि उनका दोनो कालिंग अटैंशन में नाम है। (भाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, एक बहुत ही सीनियर मैम्बर को पूरे हाउस के लिए नेम कर दिया गया है, दो दिन का हाउस है और दो दिन में मैम्बर हाउस में बैठकर अपनी बपत नहीं कह सकता तो इससे बुरी बात क्या होगी। दोनों कालिंग अटैं इन को इन में उसका नाम है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में विचार करें और उस मैम्बर को हाउस में बुलाने की कृपा करें। यह अच्छी प्रथा रहेंगी और अच्छी प्रथा डालनी चाहिए। (भाोर एवं व्यवधान) अगर उतेजना में उसने कोई बान कह दी है तो उसकी तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं इसलिए मेहरबानी करके उनको बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप नोटिस पढ़ें।

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, कैप्टनल के बारे में हां या ना का जवाब तो दें दें। (भाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव: *****

चौ० जय प्रका 1 : आप मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मैं वाक आऊट करता हूं।

(रिटायर्ड) आई०जी० श्री भोर सिंह: *****: आप मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मैं वाक आऊट करता हूं।

चौधरी भजनलाल: *****

श्री अध्यक्ष : जो मैम्बर बिना परमी इन के बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय इंडियन नै इनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री जय प्रकाश बरवाला और भोर सिंह एज ए प्रोटैस्ट सछन से वाक आउट कर गए।)

विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापिस लेने के लिए अनुरोध करना (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें। हुड्डा साहब, आप लीडर आफ दि अपोजी इन हैं, बापके कानिंग अटैं इन लगे हुए हैं,आपके एम एल एज आपको बताए बिना वाक आउट कर गए, हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं देते, आपको बोलने का मौका नहीं देते। आपने नोटिस दिए हैं, आप उन पर चर्चा करवाएं, कल भी ये चले गए और आज भी चले गए, यह इनका आचरण अच्छा नहीं लगता। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्परकर सर, कल आपने हमारे माननीय सदस्य कैप्टन अनय सिंह को सदन से पूरे सैरुान के लिए सस्पेंड कर दिया, पहले आप उनको तो हाउस में आने की इजाजत दें क्योकि यह कालिंग अटैं इन मो इन उनकी नरफ से भी दिया हुआ है। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी का प्रधान भी खड़ा है और बाप भी खड़े हैं लेकिन आपके सदस्य हाउस से बाहर चले गये। (भाोर एवं व्यवधान) इससमय आप दोनो अपनर पोजी न दंखें। कृपा काके आप आने मेम्बरान को सम्भालें।(भाोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, बापने हमाने एक वरिष्ठ सदस्य को कल सस्पेंड कर दिया।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :स्पीकर सर,पहले आप क।प्टन साहब कोहाउस में आने की इजाजत दें। यदि आप कैप्टन साहब कोहाउस में आने की इजाजत नहीं देंगे तरक हम वाक आऊट कर जायेंगे और पूसरी बात मैं यह कहना चाहता हुं कि कर्ण सिंह दलाल एक बहुत ही अहम मुद्दा कल से उठा रही है लेकिन आप उसे बोनने नहीं दे रहे। कृपा करके दलाल साहब को बाप बोलने दें। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, कर्ण सिंह दनान आपकी पार्टी का सदस्य नहीं है इसलिए आपकी सिफारि । की जरूरत नहीं है। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय,हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है इसलिए आपकी सिफारि । की जरूरत नहीं है।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के सदस्य आपकी और आपके अध्यक्ष की बात तो मानते नहीं हैं और आप दलाल साहब की सिफारिश कर रहे हैं। दलाल साहब जब आपकी पार्टी में आ जाए तब आप इनके बारे में कहना। सदन मैरिट के हिसाब से चलता है और उसी हिसाब से मैं सदन चलाऊंगा। हुड्डा साहब, प्लीज आप अपना नोटिस पढ़ें। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, पहले आप कैप्टन साहब के बारे में बतायें कि उन्हें हाउस में आने दिया जायेगा या नहीं। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने भी ***** इस तरह आपके भाब्द भी ठीक नहीं है। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चेयर की तरफ कहे गए भाब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, यदि आपको कैप्टन साहब ने कुछ गलत कह दिया और आपको ठेस लगी है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं लेकिन आप कैप्टन साहब को हाउस में आने की इजाजत दें।(भाोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी, आप ही इस बारे में कुछ कहे और कैप्टन साहब को हाउस में बुलायें।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आप कैप्टन साहब को हाउस में आने देंगे या नहीं इस बारे में हां या ना में जवाब तो बतायें। (भाोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्डिंग न की जाये। धर्मबीर जी मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं आप उनका मतलब समझें। मैंने गलत भाशा का प्रयोग नहीं किया। (भाोर एवं व्यवधान) हुड्डासाहब, आप अपना नोटिस पढ़ें।

श्री जयप्रकाश : स्पीकर सर, सारा सदन आपके व्यवहार को देख रहा है और आप एक बहुत ही अहम कुर्सी पर बैठे हैं। (भाोर एवं व्यवधान) प्रदेश की जनता भी आपके व्यवहार को देख रही है। (भाोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप हुड्डा साहब से फिर से पूछ लें कि यह अपना प्रस्ताव पढ़ना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अगला बिजनैस लाया जाये ताकि सदन का समय खनाब न हो। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि कैप्टन साहब को सदन में बुलाया जायें। (भाोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सहकारी तथा निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की
अदायगी न करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : भुपेन्द्र सिंह जी, प्लीज अपना नोटिस पढ़े ।

Shri Bupinder Singh: I want to draw the attention of this august House on issue of great public importance regarding the non-payment of the sugarcane to farmer by the Cooperative and Private Sugar Mill. The Chief Minister of Haryana Mr. Om Parkash chautala has announced that the pending payment of sugarcane would be made intime. The State Government had announced that a rate of Rs.104 per quintal, Rs.106 per quintal and Rs.110 per quintal depending on the variety of sugarcane would be paid to the farmer and if in any case the payment of the sugarcane is delayed to the farmer their payment will be made at the of 50% interest and recently the Chief Minister announced that the payment of the sugarcane to the farmer will be made to farmer upto 24th july, 2002, but they are sorry to apprise this august House that the arrears of payment for the purchase of sugarcane approximately Rs.40 crore are still pending .The farmer are running from pillar to post to obtain their dues but in vain. This misery of the farmer have been aggravated due to the drought condition prevailing in the State. There is a great resentment amongst the farmer leading to protests and dharnas throughout the tate.

I request the Government to make a statement on the floor of the House and clarify the stand on the non-payment of the arrears of the sugarcane growers.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मेरा एक काल अटै इन मो इन था, उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष: पहले आप बैठिये।

श्री कर्णसिंह दलाल : सर, मैंने अपना काल अटै इन मो इन आज ही आपको दिया था

श्री अध्यक्ष : अभी वह अन्डर कन्सीड्रे इन है।

वक्तव्य—

उपोत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी कृषि मंत्री द्वारा

Mr. Speaker: Now the Agriculture Minister will make a statement.

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु): सरकार द्वारा हमें 11 ही किसानों को उत्पादन का एचित मूल्य दिलाने के लिये प्रयास किया गया है। वर्ष 1999-2000 से राज्य के किसानों के गन्ने की अगेती, मध्यम तथा पछेती किस्मों का क्रम 1: मूल्य 110, 106 तथा 104 रूपये प्रति क्विंटल जो कि न्यूनतम सांविधिक मूल्य से ऊपर है, दिया जा रहा है जोकि देश में सब से अधिक है। गन्ने की उपरोक्त दर वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रति सैकड़ के आधार पर निर्धारित किये गये न्यूनतम सांविधिक मूल्य 62.05 रूपये प्रति क्विंटल से कहीं अधिक है। राज्य की सभी 15 चीनी मिलों द्वारा जिनमें से 12 सहकारी

क्षेत्र तथा 3 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, चालू सीजन के दौरान गन्ने की वही कीमत देने हेतु सहमति प्रकट की जो गत वर्ष 2000-2001 में अदा की गई थी।

चीनी मिलों द्वारा सीजन 2000-2001 के दौरान किसानों द्वारा सप्लाई किये गये उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। पिराई सीजन 2001-2002 के दौरान राज्य की सभी 15 चीनी मिलों द्वारा 627.88 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई जिसकी मुल कीमत 660.14 करोड़ रूपयें बनती है।

यह सत्य नहीं है कि किसानों को अभी भी लगभग 40.00 करोड़ रूपये के मूल्य का भुगतान किया जाना है। वास्तव में, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य की सहकारी चीनी मिलों को किया जा चुका है। अब केवल निजी क्षेत्रों की तीन चीनी मिलों द्वारा दिनांक 2-9-2002 तक मुल 25.64 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जाना भोश रहता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

राज्य सरकार द्वारा तीनों निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के प्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते रहे हैं कि किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य भीघ्न अदा किया जाये। चीनी मिल यमुनानगर तथा भादसों द्वारा अब तक क्रमशः 98 प्रतिशत तथा 84 प्रतिशत गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। यमुनानगर चीनी

मिल द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान 10-9-2002 तक कर दिया जायेगा। चीनी मिल नारायणगढ़ द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 11702 ऑफ 2002 दायर करके गन्ने के न्यूनतम यांविधिक मूल्य से अधिक मूल्य के भुगतान के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये है। उक्त केस की सुनवाई की तिथि 27-11-2002 निर्दिष्ट की गई है। विभाग द्वारा उक्त केस की भीष्म सुनवाई व स्थगन आदेश रद्द कावाने के निशे काफी प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को उनके गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान भीष्म कराने हेतु भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्रसिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विभिन्न मिलोंकी पिराई कब भुरू हुई, उनकी पेमेंट कब भुरू हुई, मिल बन्द हुई तथा 31 मार्च तक किसानों की कितनी पेमेंट हो गई थी ? इन्होंने नारायणगढ़ के बारे में कहा है कि कोर्ट का स्टे है, वह प्रोविजनल स्टे है। उसमें प्रावाइडिड है उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं दी हुई है, असमें स्टे है लेकिन ऐसी कोई कण्डी उन नहीं हैं जो पर्चियां उन्होंने दी उनमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो एनाउंस की है वह एग्रीड है। कई किसान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐफिडैविट भी दिए हैं जिनका पहले कभी सर्वे नहीं हुआ और जिन्होंने पहली दफा ही गन्ना बोया है, उनकी भी पूमेंट नहीं हुई है। किस आधार पर वह पेमेंट रोकी हुई है और अस बारे

में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? बार-बार मंख्य मंत्री जी के ब्यान भी आते रहे और किसानो से उनका वायदा भी था कि 15 दिन में पेमेंट कर दी जाएगी और 15 दिन के बाद जो डिलेड पेमेंट होगी उनको इस डिलेड पेमेंट का इन्ट्रस्ट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोगों को इन्ट्रस्ट मिला है, 15 दिन से ज्यादा कितने किसानों की डिलेड पेमेंट हुई है, क्या ये इस बात को बताएंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को आपके माध्यम से यह जानकारी करवाऊंगा कि इनकी कॉलिंग अटैंडान्स आनेसे पहले को-ऑपरेटिव भूगर मिलों की एक-एक पाई दी जा चुकी है। चूंकि ये विपक्ष के नेता हैं इसलिए इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी चीज स्पीकर साहब के रूबरू प्रस्तुत की जाए तो उससे पहले उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और अगर नहीं है ताक चौधरी भजन लाल जी से पूछ लें। चाहे ये आपस में लगते हैं लेकिन यह एक कानूनी बार है। (विधन) मैं तो बता ही रहा हूँ। विपक्ष के नेता अगर मुझ से पूछते तो फिर भूगर मिल, मेहम के सामने धरना देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हुड्डा साहब, उस समय आपकी बहुत ही फजीती हुई थी जब भूगर मिल के कर्मचारियों और किसानों ने कहा कि हमारा कोई पैसा ही बकाया नहीं है तो फिर आप किस बात के धरने पर बैठे हैं। इनको इस बात का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उनको किस-किस बात पर क्या-क्या समझाते

जाएं इनके लिए तो कोई क्लास लेने वाला आदमी होना चाहिए। हुड्डासाहब जैसे तो आप कहते हैं कि यह हमारा लीडर नहीं है और जब ये क्लास लेते हैं तो कादियान साहब जैसे लोग उसमें आते ही नहीं तथा बाद में फिर परामर्श करते हैं। भजन लाल जी, आप इनको बिठा कर उनकी क्लास लिया करो तथा रूल्ज एण्ड रैगुलेटिन्ज के हिसाब से डा० रधुबीर सिंह जी को समझाने की कोशिश की जाये। (विघ्न)

डा० रधुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपका नाम आने से कोई बात नहीं हुई। आपको कौन सी गाली मिली है, नाम ही तो आया है। अगर नाम आ गया तो क्या हो गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न)

डा० रधुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें (विघ्न) उनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ और ये बीच में बोले जा रहे हैं। (भाोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप इनको समझाएं। लेकिन आप में ही समझ नहीं है तो औरों को क्या समझाएंगे। (भाोर एवं व्यवधान) आपका क्या बपने

विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। आपका अपने विधायकों पर कंट्रोल होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ** ।**

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, बैठिए। (भाोर एवं व्यवधान) हुड्डा जी जो भी कह रहे हैं वह मुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटाला : आप बैठेंगे तो मैं सारा बता दूंगा। लेकिन आप बैठें तो सही। अध्यक्ष महोदय, कल बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग मे भी हुड्डा जी तै ा में आकर कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उस समश भजनलाल ने कहा थ कि मैं तने छोड़न न दूंगा, एक्सपैल करूंगा। (भाोर एवं व्यवधान) आपने यह कहा था कि मैं तने छोड़न न दूंगा, एक्सपेल करूंगा (विघ्न) कल बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में कहां था। आपके नेता ने कहा था कि छोड़न न दूंगा, एक्सपेल करूंगा।

चौधरी भजन लाल : मैंने अम्बाला के बारे कहा था कि अगर दोशी पाया गया तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री ओम प्रका ा चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे आगे बढ़कर भजन लाल ने यह भी कहा था कि बि नोई की आदत है कि जहां से उठाते हैं वहीं लाकर टाते हैं दोबारा ।(हंसी) अध्यक्ष

महोदय, मैं विपक्ष के नेता की बात पर न जाकर के काम की बात पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हरियाणा प्रदेश 1 गन्ना पैदा करने में अग्रणीय प्रदेश 1 है इसलिए हरियाणा प्रदेश 1 के किसान गन्ना ज्यादा पैदा करते हैं क्योंकि गन्ना प्राकृतिक प्रकोप को बर्दाश्त करने वाली फसल है। इसलिए हमारी सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वह ज्यादा गन्ना पैदा करे उसके लिए ज्यादा भूगर्भ मिलें लगाई हैं और गन्ने के ज्यादा दाम दिए हैं। चूंकि कांग्रेस हमें 11 किसान विरोधी रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इनके सरकारी आंकड़े इनके रूबरू प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में जब कभी भी गन्ने के भाव बढ़ने का अवकाश आता था तो उन्होंने गन्ने का भाव 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाए थे। जब लोग इन दामों के बारे में विरोध करते थे तो चौधरी भजन लाल जी के मंत्रित्वकाल में लोगों पर घोड़े दौड़ाए जाते थे और उन पर ठण्डे पानी के फब्बारे छोड़े जाते थे। यह तो चौधरी देवीलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान के गन्ने के दाम निरन्तर बढ़ते चले गए और सबसे ज्यादा 110 रूपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम दिये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश 1 की गन्ने की को-आपरेटिव भूगर्भ मिलों का एक भी बाकी पैसा किसानों को नहीं दिया जाना है। इसी प्रकार हरियाणा में प्राइवेट भूगर्भ मिलें भी हैं। उसमें सरस्वती मिल की तरफ केवल 2 प्रति 100 पैसा लोगों का बकाया है और उन्होंने सरकार से कहा है कि वे इस रूनिवार को बकाया पेमेंट कर देंगे। इसी तरह से भादसों में भी

भूगर् मिल है उसका भी लगभग 85 प्रतिशत पैसा आ गया है और वे कहते हैं कि वे इस महीने के अंत तक पैसा दे देंगे। इस मामले में हम जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य है और उस मिल का मालिक है। हम यह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उसको कहेंगे तो बाद में ये कहेंगे कि हमारे आदमी पर बदले की भावना से मुकदमा बना रहे हो। (विघ्न) वह नारायणगढ़ में प्राइवेट मिल है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यह मामला सब-ज्यूडि 1 है। इस मामले में तो हुड्डा जी आप ला-ग्रेजुएट हैं और आप इनको समझा सकते हैं, यह आपके समझ की बात है और दूसरी इनकी समझ की बात है। (हंसी) कोर्ट के मामले पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। भादसों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि विनाद भार्मा जी की तरफ जो पैसा बाकी है वह उनको लोगों को देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर देना चाहिए अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस की डिक्लररी में नैतिकता भाब्द ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी ताक एक सोच है कि हम तो किसानोंको प्रोत्साहित करने के लिए और भूगर् मिलज लगाने की योजना भी बना रहे हैं। हमारी सरकार की नाफ किसानों का एक भी पैसा बकाया नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में आज भी लगभग 87 करोड़ रूपए बकाया हैं।(भाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां पर केवल एक मात्र भूगर् मिल गंगानगर में ही है। वहां पर भी अभी तक गन्ने का बकाया है।

इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी गन्ने का बकाया है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मध्य प्रदेश में तो बिजली फी किसानों का मिल रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: जय प्रकाश, क्या बाप मुझे बोते हुए नहीं देख सकते ? आप बीच में ही क्यों बोलने लग जाने हो, जय प्रकाश, क्या आप अपनी जगह पर नहीं बैठ सकते?(विघ्न) स्पीकर साहब जिसको अलाउ करते हैं, वहीं बोनता है जबकि आप बीच में ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, (भागे एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, बैठिए। अब जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न करें। जय प्रकाश जी, बैठिए। जय प्रकाश जी, पहले बाप बोलना सीखें। आप सभ्य बनें। (विघ्न) जब मौका आता है तो बोलते हैं, ऐसे ही बीच में बोलने के लिए नहीं खड़े होना चाहिए। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर ****

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। इस तरह से बीच में बोलने के लिए खड़े नहीं होते।(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा, क्या करें ? अगर हम इसका इलाज करेंगे

तो फिर ये भी कह देंगे। इस तरह से तो काम नहीं चल सकता। (विधन) अध्यक्ष महोदय, या तो हुड्डा साहब अपने मैम्बरज को कंट्रोल करें अन्यथा इस प्रकार से तो सदन नहीं चल पाएगा और हमें कोई भी बीच में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इनके पास कहने के लिए मुछ होता ही नहीं है तो भजनलाल जी को लीडर बना दें मुझे पता है यह एक मिनट में उस को एक्सपेल कर देंगे। ये न तो आदमी की सीमा होनी ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में कितने-कितने अर्से के बाद गन्ने की पेमेंट हुई है वह मैं सदन को बता देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में ढाई वर्षों के बाद गन्ने की पेमेंट हुई है। उसके अलावा चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में वक्त का 21 करोड़ रुपया बकाया भी मैंने बाद में दिया है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पर्सनल छींटाकं भी न करें बल्कि मैरिट के आधार पर अगर ये बताएं ताक ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठिए। यह तो फ़ैक्ट है इसमें आप क्या कहेंगे यह तो असलियत है। इसलिए अब आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मैरिट के आधार पर ही बता रहा हूँ मैं इस बारे में सरकारी आकड़े सदन के यमक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब बंसीलाल जी

मंख्यमंत्री के पद से हटे थे या जब इनको हटा दिया गया था तो ये इस सदन से **** हो गये थे और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने इनके वक्त की बकाया 21 करोड़ रुपये की पेमेंट किसानों को दी।(विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये भी थोड़े दिन के बाद गायब हो जाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब,आप बैठिए।

श्री बोम प्रका । चौटाला : हुड्डा साहब, बाप तो उस वक्त थे ही नहीं। आप उस वक्त सदन में हीं थे। आप भी उस वक्त इनके आदमी हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज भी हुड्डा साहब को इज्जत देता हूं क्योंकि ये विपक्ष के नेता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंख्यमंत्री जी किस तरह की भाशा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह पार्लियामेंट्री भाशा है ?(विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,मुख्यमंत्री जी पर्सनल छींटाकसी कर रहे हैं।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। मंख्यमंत्री जी कोई पर्सनल छींटाकंसी नहीं कर रहे हैं।(भाोर एवं व्यवधान)
आप सभी बैठ जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी सदन में पर्सनल छींटाकंसी कर रहे हैं। ये जब भी जवाब देते हैं तो इस तरह की बात करते हैं।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मंख्यमंत्री जी यहां पर ** जैसी अन- पार्लियामेंट्री भाशा का यूज कर रहे हैं। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, सदन के नेता अगर यहांपर ऐसी भाशा का प्रयोग करेंगे तो हरियाणा के लोग क्या कहेंगे ? (भाोर एवं व्यवधान)

श्री बोम प्रका । चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के वक्त में जो गन्ने का रेट हुआ करता था वह मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा। जब जब इनकी सरकार बनी तो उस वक्त गन्ने का नेट आठ आने या ऐ रूपये तक बढ़ाया जाता था लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब बीच में इस प्रदे । में जनता पार्टी की सरकार बनी और जब चौधरी देवीलाल उस सरकार के मुखिया बने तब उन्होंने यकलख्त गन्ने का रेट बढ़ाया था। बाद में जब बड़े पैमाने पर दल बदल करवाकर चौधरी भजन लाल जी

मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने फिर से गन्ने का बढ़ा हुआ रंट घटा दिया । यानी 11:00 बजे इनकी दोबारा जब सरकार बनी तब इन्होंने बढ़े हुए रंट से कम रेट कर दिया। आज आपको अस बात पर गर्व करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में देा के स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे विाव के स्तर पर गन्ने का सबसे ज्यादा दाम किसान को दिया है ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाएं। जब बापकी सप्लीमेंट्री का वक्त आएगा तब आप मूछ लेना है।

चौधरी भजन लाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के पक्षधर हैं कि किसान आर्थिक तौर पर सम्पन्न हो उसको उपज के दाम ज्यादा से ज्यादा मिल सकें और यदि हम गन्ने का ज्यादा भाव देंगे तो भूगर्भ मिले ज्यादा लग सकेंगी और जब ज्यादा गन्ना का त होगा तो निश्चित रूप से सिंचाई के साधन भी ज्यादा उपलब्ध कराने पड़ेगे इसनिए हरियाणा की मौजूदा सरकार को अस बात के लिए श्रेय जाता है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं कि जिन्होंने उस एस०वाई०एल० के निर्माण का फैसला हमारे पक्ष में करके किसान को राहत प्रदान की है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : एस०वाई०एल० का जिक्र इसमें कहां से आ गया। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गत्रे की फसल के लिए पानी की आवकता पड़ती है इसलिए इस बात को इसमें जोड़ा जा सकता है। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब असबारे में बात आणगी तो फिर बता आएगी तो फिर बताऊंगा अभी तो बात में बात जोड़ रहा हूं (भाोर एवं व्यवधान) ताकी इनकी पहले ही बोलती बंद हो जाए।(भाोर एवं व्यवधान) एस०बाई०एल० का पानी आने के बाद साढ़े चार लाख एकड़ अधिक भूमि सिंचित होगी और जब पानी ज्यादा आएगा तो किसान निश्चित रूप से लाभप्रद फसल बो पाएगा और उसको ज्यादा से पेमेंट हाथ के हाथ देंगे कोई पैसा किसान का बाकी नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठ जाएं। पहले भजन लाल जी को सप्लीमेंट्री पूछ लेने दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा भी हक बनता है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री एक ही बनती है। भजन लाल जी सप्लीमेंट्री पूछेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोर से बात कह दी कि हमारे राज्य में बड़ा गन्ने का भाव बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि गन्ना किसके राज में खड़े खेतों में जलाया गया था

और दूसरी बात मैं यह पुछना चाहता हूं कि गन्ना और आलू किस राज में खेतों से बाहर फेंका था और यह भी बता दें हमारे राज में गन्ने का भाव कितना बढ़ा

विवेक उच्च विद्यालय चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके द्वारा इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस समय असेंबली की लॉबी में विवेक हाई स्कूल, चण्डीगढ़ के छात्र विधान सभा कि कार्यवाही देखने आए हैं ये देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन्होंने आप से और हम से प्रेरणा लेनी है इसलिए संयम बनाए रखें ताकि बच्चों पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। मैं उन बच्चों का अभिन्नदन करता हूँ और उन्हें यह विवास दिलाना चाहूंगा कि हम आपके रास्ते की सारी बाधाएँ दूर करने का प्रयास करेंगे।

चौधरी भजन लाल : हम भी उनका अभिनंदन करते हैं लेकिन आप भी अपनी मर्यादा में बात करिए। हम मर्यादा में बोलते हैं। आप यह बता दें की गन्ना कब जला था ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कांग्रेस भासन के आठ वर्षों में गन्ने के दाम में पचास पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि हुई।

चौधरी भजन लाल : यह आप किस पीरिड की बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : 1967-68 की बात कर रहा हूँ तब गन्ने का रेट 12.50 रुपये था (विधन)

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उस समय तो आप भी विधायक थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन मैं उस समय सरकार में मंत्री नहीं था।

चौधरी भजन लाल : गन्ने के भाव बढ़ाने वाला तो मैं ही था।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठे-बैठे न बोले।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हो कर बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपने बैठे-बैठे बोलना भुरु कर दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सालों के आंकड़े बता देता हूँ। 1967-68 में गन्ने का भाव 12.50 पैसे था, 1968-69 में गन्ने का भाव 7.37 पैसे था 1969-70 में

गन्ने का भाव 7.37 था, 1970-71 में गन्ने का भाव 7.37 पैसे था, 1971-72 में गन्ने का भाव 8.50 पैसे था, 1972-73 में गन्ने का भाव 12.00 रूपये था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1972-73 में 8 रूपये से 12 रूपये मैने किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप कल कह रहे थे कि जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो कृषि बीमा योजना आपने भूरु की थी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, 1973-74 में गन्ने का भाव 8.19 पैसे था,

1974-75 में गन्ने का भाव 10.50 पैसे था, 1975-76 में गन्ने का भाव 13.00 रूपये था,

1982-83 में गन्ने का भाव 22.00 रूपये था, 1983-84 में गन्ने का भाव 23.00 रूपये था

1984-85 में गन्ने का भाव 24.00 रूपये था, 1985-86 में गन्ने का भाव 27.00 रूपये था

1986-87 में गन्ने का भाव 28.00 रूपये था, 1987-88 में गन्ने का भाव 32.00 रूपये था

1988-89 में गन्ने का भाव 35.00 रूपये था, 1989-90 में गन्ने का भाव 40.00 रूपये था

1990-91 में गन्ने का भाव 45.00 रूपये था, 1991-92 में गन्ने का भाव 49.00 रूपये था

गन्ने के ये सारे भाव चौधरी देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय में बढ़ाए गए थे और ऐसी कोई सरकार प्रदेश में नहीं रही जिसमें चौधरी भजन लाल जी शामिल नहीं थे।

चौरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय किसानों ने अपने खेतों में गन्ना जलाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसमें गन्ना नहीं जलाया गया हो। और ऐसी कोई सरकार नहीं जिसमें चौधरी भजनलाल जी नहीं घूसे हों।

चौधरी भजन लाल : मेरे बगैर कोई सरकार बन ही नहीं सकी। (विधन)

श्री भूपेन्द्रग सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सप्लीमेंटरी में पूछा था उस प्रश्न का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने

जवाब नहीं दिया। अगर नारायणगढ़ में किसानों के गन्ने की पेमेंट के बारे में कोर्ट ने स्टे नहीं दिया ताक आपने पेमेंट क्यों रोक रखी है। अगन कोर्ट ने स्टे दिया है तो सरकार ने इसके बारे में क्या ऐक्शन लिया है।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सप्लीमेंटरी में पूछा था उस प्रश्न का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये, जो हुड्डा साहब बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये। डाक्टर साहब आप बोलिये। अगर डाक्टर नहीं बोल रहे हैं तो भादीलाल बतरा जी बोलें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने गन्ना कब जलाया इसके बारे में मुख्यमंत्री जी बतायें। (गोर)

वाक— आउटस

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब, सदन के वरिष्ठ सदस्य जै ओर मैं सदन के नेता को आग्रह कर चुका हूँ कि उनको बुलाएं। इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करें और मुझे बताएं कि उनको बुलाया जा रहा है या नहीं। (भाोर एवं व्यवधान) मैंने पहले भी कहा था कि दोनो कालिंग अटैंशन में

उनका नाम है, वे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम डिलीट कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डाक्टर रधुबीर सिंह जी बाप बोलें, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री रधुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, पहले आप कैप्टन साअब का फैसला करें। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस समूथली चल रहा था, अब आपको क्या याद आ गया है।

श्री भूपेन्द्रग सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है कि कैप्टन साहब को बुलाया जाए, अगर उससे गलती से मुछ कहा गया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। (भाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कृपा करके उनको बुलाया जाए क्योंकि एक दिन का सै उन है। उसने उतेजना में कुछ कह दिया है तो हम खेद प्रकट करते हैं। (भाोर एवं व्यवधान) इस समय कांग्रेस के कई सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमी उन के बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय ने अनलिश्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत हसंह सागवान सदन से वाक- आउट कर गए।)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बाहर तो बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं कि अब कि बार बताउंगा कि विपक्ष क्या होता है और अब वाक आउट करके जा रहे हैं, कल भी वाक आउट कर गए। लोगों से जाकर यं क्या कहेंगे, लोगो ने अन्हें किस लिए यहां भेजा था।

वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Suipplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Shri Lila Krishna , Chairperson , Commitee on Estimates , will present the report of the commitee on Estimates , will Present the report of the committee on Estimates on the Suipplementary Estimates (First Instalments)2002-2003.

**Shri Lila Krishna (Chairperson, Commitee on Estimates
(First Instalment) 2002-2003.**

वर्ष 2002-2003 अनुपूरक अनुमनों (पहली किस्त) पर चर्चा तथा
मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on Supplementary Estimates (First Instalments) 2002-2003 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the house, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion,

That a supplementary sum not exceeding Rs.4,00,63,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No.16-Industries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4.55.00.30/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.1,26,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No.25-Loan and Advances by the State Govt.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That Supplementary sum not exceeding Rs.4.00.63.000/-for revenue expenditure be granted to the Governer to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March , 2003 in respect of Demand No.16-Industies.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Supplementary sum not exceeding Rs.4.55.00.000/-for revenue expenditure be granted to the Governer to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March , 2003 in respect of Demand No.20-Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker:Question is-

That Supplementary sum not exceeding Rs.1.26.60.00.000/-for revenue expenditure be granted to the Governer to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March , 2003 in respect of Demand No.25-Loan and Advances by State Govt.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Demands over Grants and Appropriation for the year 1997-98 and 1998-99.

Finance Minister (Prof, Sampat Singh): Sir, I beg to present the Excess Demands over Grant and Appropriation for the year 1997-98 and 1998-1999.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess demands over Grants and Appropriation for the year 1997-98 and 1998-99 will take place. As per past practice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs.67,94,335/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of General Administration .

That a grant of a sum not exceeding Rs.13,02,26,752/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,15,70,541/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,82,635/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Other Administrative Services.

That a grant of a sum not exceeding Rs.13,78,87,559/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.45,59,68,573/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs.5,24,38,039/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs.3,56,73,805/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs.53,29,88,232/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Loan and Advances by the State Government.

That a grant of sum not exceeding Rs.10,90,64,749/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1998-99 in respect of Finance.

(No Member rose to speak)

Mr.Speaker: Hon'ble Members, now I shall put various demands for year 1997-98 to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is -

That a grant of a sum not exceeding Rs.67,94,335/-be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs.13,02,26,752/-be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,15,70,541/-be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,82,635 /- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of other Administrative Services.

(Mr. Speaker)

That a grant of a sum not exceeding Rs.13,78,87,559 /- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Building and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.45,59,68,573/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs.5,24,38,039 /- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is

That a grant of a sum not exceeding Rs.3,56,73,805 /- be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Animal Husbandary.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs.53,29,88,232/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Loan and Advances by the State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I shall put various demands for year 1998-99 to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of sum not exceeding Rs.10,90,64,749/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1998-99 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. today.

***11.18 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. today, Tuesday the 3rd September, 2002)

ANNEXURE

Number of Proclaimed Offenders

119. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether any criminal has been declared proclaimed offender in the State during the year 2000 and 2001, if so, the district-wise number and names thereof ?

मुख्यमंत्री, (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान् जी, वांछित सूचना पटल पर रखी जाती है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 119 का विवरण।

उद्घोषित किए गए अपराधियों की जिलावार संख्या।

क्र० सं०	जिला	उद्घोषित अपराधियों की संख्या	
1.	पंचकूला	1	8
2.	अम्बाला	0	6
3.	यमुनानगर	5	6
4.	कुरुक्षेत्र	4	10
5.	कैथल	6	16

6.	हिसार	22	38
7.	सिरसा	5	26
8.	जीन्द	12	28
9.	भिवानी	3	20
10.	फतेहाबाद	0	3
11.	रोहतक	15	12
12.	सोनीपत	5	7
13.	करनाल	37	58
14.	पानीपत	25	13
15.	झज्जर	20	24
16.	गुड़गांव	15	11
17.	फरीदाबाद	26	24
18.	नारनौल	0	7
19.	रिवाड़ी	0	1
20.	रेलवे पुलिस	26	10